अध्याय - V

सहकारी बैंकिंग की गतिविधियां

वर्ष 2010-11 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ, तथापि, चिंता की बात है कि कुछ शहरी सहकारी बैंक ऋणात्मक सीआरएआर दर्ज कर रहे हैं। ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) ने लाभ दर्ज किया है, किंतु बुनियादी संस्थाएं अर्थात् प्राथमिक कृषि ऋण समितियां लगातार अत्यधिक हानि उठा रही हैं। दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन अल्पावधिक सहकारी संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन की तुलना में और अधिक कमज़ोर पाया गया। साथ ही, यह भी पाया गया कि सहकारी समितियों का शाखा नेटवर्क देशभर फैला हुआ है, किंतु वह कुछ ही क्षेत्रों में संकेंद्रित रहा है। इसके अलावा, सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इससे देश के पूर्वोत्तर भाग में बैंकिंग के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता प्रकट होती है, साथ ही साथ, बुनियादी सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना ज़रूरी प्रतीत होता है।

1. परिचय

5.1 कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों, लघु उद्योगों और स्वनियोजित कामगारों को वित्तीय मध्यस्थता सेवा मुहैया कराकर सहकारी बैंकिंग क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चूंकि देश के कोने-कोने में सहकारी बैंकों का नेटवर्क फैला हुआ है, अतः इन संस्थाओं को दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क की परिधि में लाने का एक सुसाध्य साधन के रूप में देखा जाता है। तथापि, आम तौर पर सहकारी बैंकों और विशेष रूप से बुनियादी सहकारी संस्थाओं की खराब वित्तीय स्थिति एक अड़चन बनी हुई है, अतः इन संस्थाओं के व्यापक नेटवर्क का पूरा लाभ उठाने के लिए इन अड़चनों को दूर करने की ओर ध्यान देना ज़रूरी है।

शहरी सहकारी बैंकों और वाणिज्य बैंकों के बीच अंतर्संबद्धता में वृद्धि

5.2 नवंबर 2010 से भारतीय वित्तीय नेटवर्क (आईएनएफआईएनईटी) और तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) की परिधि में शहरी सहकारी बैंकों को शामिल किए जाने के बाद हाल के वर्षों में सहकारी बैंकों को वित्तीय क्षेत्र में एकीकृत करने की गति में तेज़ी आई है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक के वर्ष 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य में वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों को तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) में शामिल करने और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कतिपय मानदंडों को पूरा किए जाने पर उन्हें इंटरनेट बैंकिंग माध्यम की सुविधा दिये जाने की बात बताई गई है। इस प्रकार सहकारी क्षेत्र की वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र के साथ अंतर्संबद्धता की वजह से संक्रमण के बढ़ने का जोखिम है जो इन संस्थाओं की कमज़ोर वित्तीय स्थिति के चलते तमाम वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकता है।

5.3 भारत की सहकारी संरचना को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) शहरी इलाकों में सेवा मुहैया कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं देश के ग्रामीण इलाकों में परिचालन कर रही हैं। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार देश में 1,645 शहरी सहकारी बैंक परिचालन कर रहे थे, जिनमें से अधिकांश बैंक गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक थे। जहां अधिकांश शहरी सहकारी बैंक एक ही राज्य में परिचालनरत हैं वहीं कुल 42 ऐसे शहरी सहकारी बैंक हैं जो एक से अधिक राज्यों में परिचालन कर रहे हैं।

5.4 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को अल्पावधिक और दीर्घावधिक संरचनाओं में बांटा गया है। अल्पावधिक सहकारी क्षेत्र की संरचना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) है, जो शीर्ष स्तरीय संस्थाओं के रूप में कार्य करता है। ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) ज़िला के स्तर पर कार्य करता है और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) बुनियादी स्तर पर कार्य करती हैं। इसी प्रकार, राज्य के स्तर पर परिचालित राज्य सहकारी

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और ज़िला/खंड के स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) दीर्घावधिक ऋण देने वाली सहकारी संस्थाएं हैं (चार्ट V.1)

5.5 शहरी सहकारी बैंकों की बैंकिंग संबंधी गतिविधियां रिज़र्व बैंक के नियंत्रणाधीन हैं, जबकि जहाँ तक पंजीकरण और प्रबंधन संबंधी गतिविधियों का संबंध है, एकल राज्य में परिचालित शहरी सहकारी बैंक सहकारी समिति रजिस्ट्रार (आरसीएस) के नियंत्रणाधीन हैं और बहु राज्य शहरी सहकारी बैंक केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार के नियंत्रणाधीन हैं। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की संरचना और भी जटिल है, क्योंकि उनकी बैंकिंग संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने की ज़िम्मेदारी रिज़र्व बैंक और नाबार्ड पर है, जबकि उनकी पंजीकरण/प्रबंधन संबंधी गतिविधियों को सहकारी समिति रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तथापि, हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक ने उनके दोहरे नियंत्रण संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत केंद्र/राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ दोहरे नियंत्रणों से पैदा होने वाले मुद्दों को दूर करने हेतु राज्य के स्तर पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल (टीएएफसीयूबी) का गठन करना शामिल है।

5.6 इस अध्याय को पांच भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें भारत में सहकारी बैंकों के परिचालन और कार्य-निष्पादन का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। भाग-1 में परिचय और भारत में सहकारी क्षेत्र का एक व्यापक सिंहावलोकन शामिल है। भाग-2 और 3 में क्रमशः 2011 में शहरी सहकारी बैंकों के कारोबारी परिचालन और कार्य-निष्पादन तथा 2009-10 में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के कारोबारी परिचालन और कार्य-निष्पादन पर प्रकाश डाला गया है[1]। भाग-4 में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुनर्जीवन के संबंध में नाबार्ड द्वारा हाल में की गई पहल का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। भाग-5 में इस अध्याय में प्रस्तुत किए गए विश्लेषण के आधार पर व्यक्त किए गए विचारों का वर्णन किया गया है[2]।

चार्ट V.1 : भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

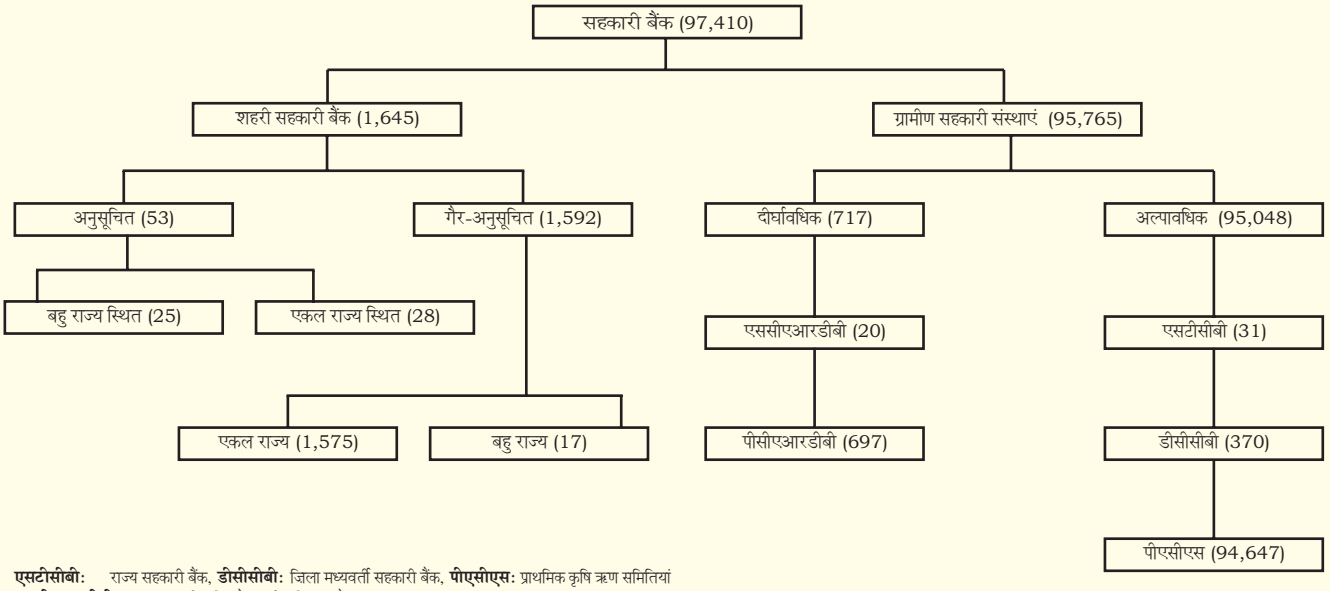

एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक, **डीसीसीबी:** जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, **पीएसीएस:** प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नोट: 1. कोष्ठकों में दिए गए अंक मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों की संख्या और मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की संख्या को दर्शाते हैं।
2. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लिए दर्शाई गई संख्या, रिपोर्ट करने वाली सहकारी संस्थाओं की है।

[1] चूंकि एक वर्ष के समय अंतराल पर ग्रामीण सहकारी संस्थाओं से संबंधित आंकड़े उपलब्ध होते हैं।

[2] इस अध्याय में रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग (शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में), नाबार्ड (पीएसीएस को छोड़कर ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के संबंध में) और राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय महासंघ या एनएएफएससीओबी (पीएसीएस के संबंध में) से जुटाए गए आंकड़े के आधार पर सहकारी बैंकों के परिचालन और कार्य-निष्पादन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

2. शहरी सहकारी बैंक[3]

शहरी सहकारी बैंकों का स्वरूप

विलय/अभिग्रहण के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों का समेकन कार्य प्रगति पर है

5.7 शहरी सहकारी बैंक समाज के बड़े वर्ग को, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बैंकिंग सेवा प्रदान करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 1991-2004 की अवधि में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र ने संभवतः सुधार के बाद वाली अवधि में उदारीकृत नीति के परिवेश में मिले प्रोत्साहन के चलते काफी वृद्धि हासिल की। साथ ही साथ, शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में अनेक संस्थाएं कमज़ोर और अलाभकारी हो गईं, जिससे वे जनता में अपना विश्वास खो बैठीं और इससे इस क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम पैदा होने लगा। इस क्षेत्र की जटिलता को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अपने विज़न दस्तावेज, 2005 में विशेषकर शहरी सहकारी बैंकों के पुनर्जीवन और मज़बूती की दृष्टि से एक बहु-स्तरीय विनियामक व पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया। उपर्युक्त विज़न दस्तावेज में रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र के लाभकारी संस्थाओं के विलय/समामेलन और अलाभकारी संस्थाओं को निर्बाध रूप से बंद करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में चल रही समेकन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में गिरावट आई है।

शहरी सहकारी बैंकों का ग्रेडवार वर्गीकरण

5.8 शहरी सहकारी बैंकों को सीआरएआर, निवल एनपीए और लाभ/हानि के पूर्ववृत्त जैसे कतिपय मानदंडों के अनुसार उनके वित्तीय निष्पादन के आधार पर चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यथा- ग्रेड I, II, III और IV। ग्रेड I और II के रूप में वर्गीकृत शहरी सहकारी बैंक ग्रेड III और IV के बैंकों की तुलना में मज़बूत माने जाते हैं।

ग्रेड I और II के शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार के हिस्से में बढ़ोतरी

5.9 शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की विद्यमान समेकन प्रक्रिया के अंतर्गत वित्तीय दृष्टि से लाभकारी बैंकों में विलय/अभिग्रहण और गैर-लाभकारी बैंकों को बंद किए जाने से हाल के वर्षों में ग्रेड I और II के शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल शहरी सहकारी बैंकों में ग्रेड I और II के बैंकों का प्रतिशत 82 था, जबकि मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल शहरी सहकारी बैंकों में उनका हिस्सा 80 प्रतिशत था। तथापि, 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में ग्रेड I वर्ग के शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिशत में मामूली गिरावट आई।

5.10 पिछले कुछ समय में वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों को मिलने वाले बैंकिंग कारोबार के हिस्से में भी बढ़ोतरी हुई। हाल के वर्षों में कुल जमा-राशि और अग्रिम में ग्रेड I और II के शहरी सहकारी बैंकों के हिस्से में हुई वृद्धि से यह बात स्पष्ट होती है। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों की कुल जमा-राशि और अग्रिमों में ग्रेड I और II के शहरी सहकारी बैंकों का समेकित हिस्सा क्रमशः 89.5 और 89.9 प्रतिशत रहा।

आस्ति और कारोबार की मात्रा के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का स्वरूप

बड़े शहरी सहकारी बैंकों को अधिक कारोबार की प्राप्ति

5.11 आस्ति, जमा-राशि और अग्रिम की मात्रा के अनुसार शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के निष्पादन के विश्लेषण से भी यही साबित हुआ कि जिन शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति की मात्रा अधिक है, उन्हें अधिक कारोबार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मात्रा में आस्ति रखने वाले बैंकों (25 करोड़ रुपये से अधिक की आस्ति) के कारोबार के प्रतिशत हिस्से में बढ़ोतरी हुई।

सारणी V.1 : शहरी सहकारी बैंकों की जमा-राशि और अग्रिमों का ग्रेडवार वर्गीकरण

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

ग्रेड	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	जमा-राशि	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	अग्रिम दी हुई राशि	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
I	845	51.3	1,34,691	63.5	86,916	63.7
II	497	30.2	55,130	26.0	35,701	26.2
III	172	10.5	10,206	4.8	6,487	4.8
IV	131	8.0	12,004	5.7	7,237	5.3
कुल	**1,645**	**100.0**	**2,12,031**	**100.0**	**1,36,341**	**100.0**

[3] इस भाग में 2011 के संबंध में प्रस्तुत आंकड़ा अनंतिम है।

बॉक्स V.1 : शहरी सहकारी बैंकों का विलय और समामेलन

कमज़ोर संस्थाओं का मज़बूत संस्थाओं के साथ विलय करने की प्रक्रिया के माध्यम से शहरी सहकारी संस्थाओं का समेकन कार्य फरवरी 2005 में जारी किए गए पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ दिशा-निर्देश के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। हालाँकि शहरी सहकारी बैंकों का विलय/समामेलन कार्य संबंधित राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र में आता है, फिर भी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व-अनुमोदन लेना ज़रूरी है। रिज़र्व बैंक विलय/अभिग्रहण संबंधी प्रस्तावों पर विचार करते समय जमाकर्ताओं के हितों और अभिग्रहणकर्ता बैंक की विलय के बाद की वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए विलय के वित्तीय पहलुओं तक ही अपना अनुमोदन सीमित रखता है।

अभिग्रहण के मामलों में अभिग्रहणकर्ता बैंक के वित्तीय मानदंड विलय के बाद निरपवाद रूप से विनिर्दिष्ट न्यूनतम विवेकपूर्ण व विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप अवश्य होने चाहिए। फरवरी 2005 में जारी किए गए दिशा-निर्देश के अलावा, रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2009 में मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार ऋणात्मक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों के विलय/अभिग्रहण के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किया। नए दिशा-निर्देश के अनुसार रिज़र्व बैंक निम्नलिखित शर्तों के आधार पर समामेलन योजना पर भी विचार करेगा, (i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाना (ii) अंतरिती बैंक द्वारा वित्तीय योगदान किया जाना (iii) बड़े जमाकर्ताओं द्वारा घाटा उठाने के लिए तैयार रहना।

विलय/अभिग्रहण की प्रक्रिया के अंतर्गत अभिग्रहणकर्ता बैंक को आरसीएस/सीआरसीएस और रिज़र्व बैंक को निश्चित सूचना प्रस्तुत करते हुए प्रस्ताव पेश करना होगा। रिज़र्व बैंक उस विलय योजना के गुण-दोषों की जांच करेगा और उसे आगे छानबीन और सिफारिश के लिए एक विशेषज्ञ समूह के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यदि रिज़र्व बैंक प्रस्ताव को उचित समझता है तो संबंधित सहकारी संस्था/आरसीएस/सीआरसीएस को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देता है। शहरी सहकारी बैंकों के विलय संबंधी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद जून 2011 (सारणी 1.1) के अंत की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक को विलय संबंधी 158 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 120 प्रस्तावों पर रिज़र्व बैंक ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। आरसीएस ने 95 विलय संबंधी अधिसूचना जारी की, जिसके अंतर्गत 8 ग्रेड I, 4 ग्रेड II, 17 ग्रेड III और 66 ग्रेड IV शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं। विलय/अभिग्रहण के संबंध में हुई वर्षवार प्रगति सारणी 1.1 में दर्शाई गई है।

सारणी 1.1 : विलय/अभिग्रहण में वर्षवार हुई प्रगति

वित्तीय वर्ष	रिज़र्व बैंक को प्राप्त प्रस्ताव	रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र	किए गए विलय (आरसीएस द्वारा अधिसूचित)
1	2	3	4
2005-06	24	13	4
2006-07	32	17	15
2007-08	42	28	27
2008-09	16	26	22
2009-10	26	17	13
2010-11	17	13	11
2011-12*	1	6	3
कुल	**158**	**120**	**95**

*: 30 जून 2011 तक

अब तक रिपोर्ट किए गए 95 विलयों में ऐसे 59 शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं, जिनकी निवल मालियत ऋणात्मक रही। सबसे अधिक विलय महाराष्ट्र (58) में हुए। उसके बाद गुजरात (16) और आंध्र प्रदेश (10) का क्रम रहा। विलय/अभिग्रहण की दिशा में राज्यवार हुई प्रगति का ब्योरा सारणी 1.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.2 : विलय/अभिग्रहण में हुई राज्यवार प्रगति

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	2	12	14	16	6	6	2	58
गुजरात	2	1	7	2	2	1	1	16
आंध्र प्रदेश	-	1	3	1	3	2	-	10
कर्नाटक	-	-	2	1	-	-	-	3
पंजाब	-	1	-	-	-	-	-	1
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	1	-	1
उत्तराखंड	-	-	1	1	-	-	-	2
छत्तीसगढ़	-	-	-	1	-	1	-	2
राजस्थान	-	-	-	-	2	-	-	2
कुल	**4**	**15**	**27**	**22**	**13**	**11**	**3**	**95**

चार्ट V.2: शहरी सहकारी बैंकों की संख्या का ग्रेडवार वर्गीकरण तथा कुल अग्रिमों और जमा-राशियों में उनका हिस्सा

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

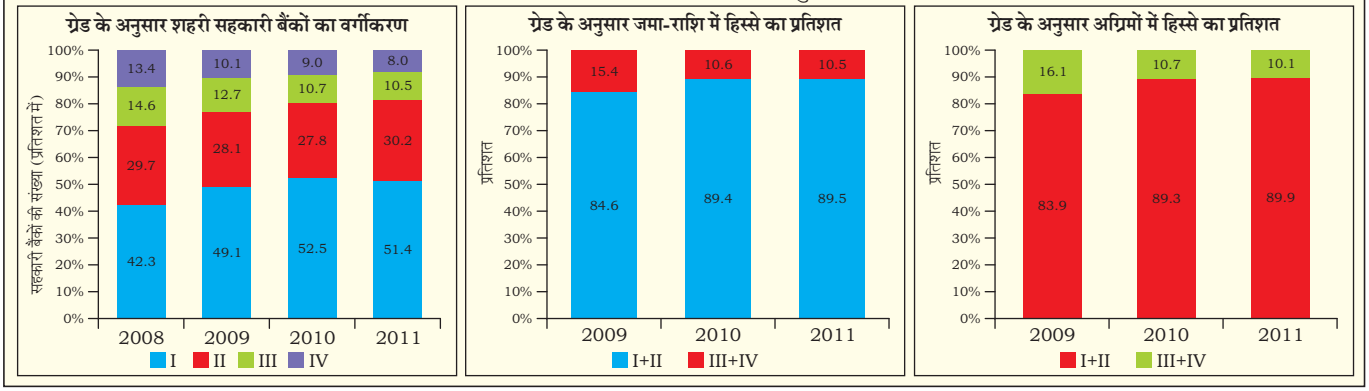

चार्ट V.3 : शहरी सहकारी बैंकों का बदलता स्वरूप

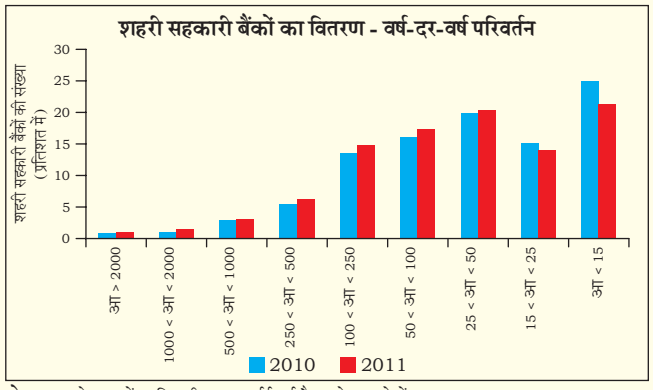

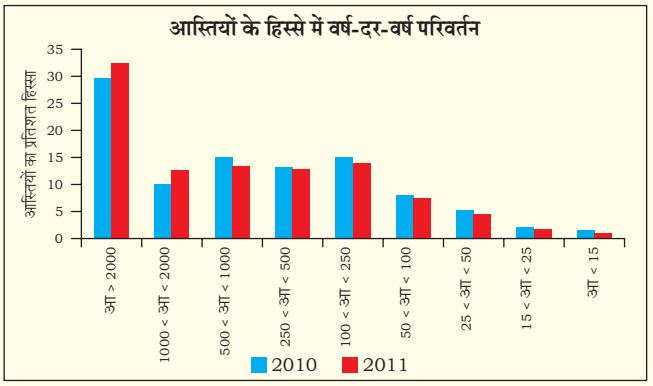

नोट: 'आ' के रूप में आस्ति की मात्रा दर्शाई गई है (करोड़ रुपये में)

परंतु, इसी अवधि में 25 करोड़ रुपये से कम आस्ति रखने वाले शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिशत हिस्से में गिरावट आई। आस्तियों के हिस्से की दृष्टि से भी कुल आस्ति में बड़ी मात्रा में आस्ति रखने वाले शहरी सहकारी बैंकों के हिस्से में वृद्धि हुई (चार्ट V.3)।

5.12 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार 500 करोड़ रुपये से अधिक आस्ति आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों की संख्या अन्य 6 आस्ति आकार वाली सहकारी सहकारी बैंकों की संख्या का लगभग 6 प्रतिशत थी जबकि इस क्षेत्र की कुल आस्तियों में इस आस्ति आकार वाले बैंकों का हिस्सा 59 प्रतिशत था। शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में मध्यम आकार (100-500 करोड़ रुपये) की आस्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा 21 प्रतिशत था, जबकि कुल आस्ति के आकार में उनका हिस्सा 27 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि कुल आस्तियों में शेष 14 प्रतिशत हिस्सा छोटे आकार की आस्ति (15-100 करोड़ रुपये) वाले शहरी सहकारी बैंकों का था, जिनका शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में लगभग 73 प्रतिशत हिस्सा था (चार्ट V.4)।

5.13 जमा-राशि और अग्रिम के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के वर्गीकरण के विश्लेषण से पता चला कि बैंकिंग कारोबार प्रबल रूप से बड़े शहरी सहकारी बैंकों को मिलता रहा। कुल जमा-राशि में बड़े जमा आधार वाले शहरी सहकारी बैंकों (500 करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर) का हिस्सा लगभग 53 प्रतिशत रहा, जबकि शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में उनका हिस्सा केवल 4 प्रतिशत था। इसी प्रकार, शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में केवल 3 प्रतिशत का अग्रिम आधार 500 करोड़ रुपये से अधिक था, किंतु 2010-11 में दिए गए कुल अग्रिमों में उनका लगभग 47 प्रतिशत का हिस्सा रहा (सारणी V.2)।

शहरी सहकारी बैंकों का टियरवार स्वरूप

पिछले वर्ष की तुलना में टियर-I बैंकों की संख्या में गिरावट

5.14 ग्रेडवार वर्गीकरण के अलावा, शहरी सहकारी बैंकों को विनियामक प्रयोजनार्थ दो वर्गों में बांटा जाता है, यथा- टियर-I और टियर-II। निम्नलिखित मानदंडों[4] को पूरा करने वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों को टियर-I के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि अन्य सभी बैंकों को टियर-II के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

चार्ट V.4 : आस्ति के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण

(मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार)

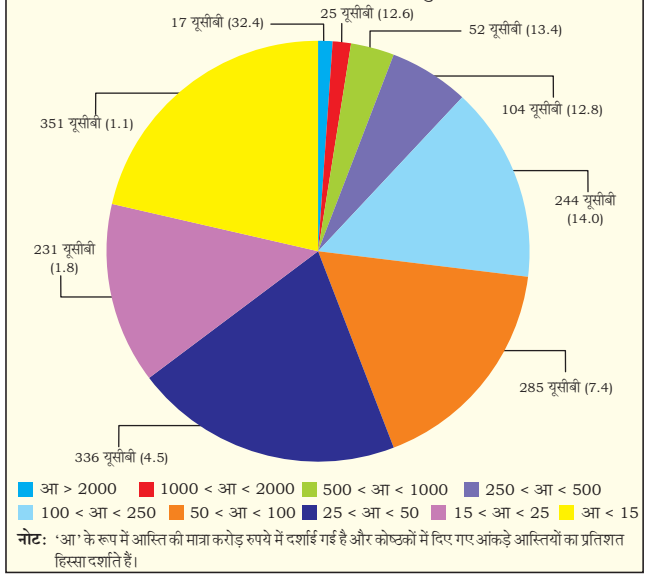

नोट: 'आ' के रूप में आस्ति की मात्रा करोड़ रुपये में दर्शाई गई है और कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े आस्तियों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

[4] इस परिभाषा में विनिर्दिष्ट जमा-राशि और अग्रिम की गणना ठीक पहले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार की जाए।

सारणी V.2: जमा-राशि और अग्रिमों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

जमा-राशि का आधार	जमा-राशि के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण				अग्रिम का आधार	अग्रिमों के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण			
	शसबैंकों की संख्या		जमा-राशि			शसबैंकों की संख्या		अग्रिम राशि	
	संख्या	कुल राशि में हिस्से का प्रतिशत	राशि	कुल राशि में हिस्से का प्रतिशत		संख्या	कुल राशि में हिस्से का प्रतिशत	राशि	कुल राशि में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ज ⩾ 1000	28	1.7	83,867	39.6	अग्रि ⩾ 1000	17	1.0	45,487	33.4
500 ⩽ ज < 1000	41	2.5	28,899	13.6	500 ⩽ अग्रि < 1000	27	1.6	19,057	14.0
250 ⩽ ज < 500	91	5.5	30,212	14.2	250 ⩽ अग्रि < 500	50	3.0	17,335	12.7
100 ⩽ ज < 250	206	12.5	31,631	14.9	100 ⩽ अग्रि < 250	148	9.0	22,642	16.6
50 ⩽ ज < 100	245	14.9	17,219	8.1	50 ⩽ अग्रि < 100	182	11.1	12,463	9.1
25 ⩽ ज < 50	318	19.3	11,442	5.4	25 ⩽ अग्रि < 50	259	15.7	9,323	6.8
10 ⩽ ज < 25	418	25.4	7,115	3.4	10 ⩽ अग्रि < 25	446	27.1	7,297	5.4
ज < 10	298	18.1	1,646	0.8	अग्रि < 10	516	31.4	2,737	2.0
कुल	**1,645**	**100.0**	**2,12,031**	**100.0**	**कुल**	**1,645**	**100.0**	**1,36,341**	**100.0**

टिप्पणी : ज : जमा-राशि करोड़ रुपये में, अग्रि : अग्रिम राशि करोड़ रुपये में

I. 100 करोड़ रुपये से कम जमा-राशि वाले ऐसे बैंक जो एक ही ज़िले में परिचालनरत हैं।

II. 100 करोड़ रुपये से कम जमा-राशि वाले ऐसे बैंक जो एक से अधिक ज़िलों में परिचालन कर रहे हों, बशर्ते कि वे ज़िले आस-पास स्थित हों। साथ ही साथ, मात्र एक ज़िले में स्थित शाखाओं की जमा-राशि और अग्रिम की राशि बैंक की कुल जमा और अग्रिम राशि का कम-से-कम 95 प्रतिशत हो।

III. 100 करोड़ रुपये से कम जमा-राशि वाले ऐसे बैंक जिनकी शाखाएं मूलतः एक ज़िले में स्थित थीं, किंतु उस ज़िले के पुनर्गठन की वजह से वह बहु ज़िला बैंक बन गया हो।

5.15 मार्च 2011 के अंत में पिछले वर्ष की तुलना में टियर-II बैंकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जबकि टियर-I बैंकों की संख्या में गिरावट आई। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में टियर-I बैंकों का हिस्सा 75 प्रतिशत से भी अधिक रहा। इसके बावजूद, कुल जमा-राशि में उनका हिस्सा 20 प्रतिशत से भी कम था। यद्यपि कुल बैंकों की संख्या में टियर-II बैंकों का हिस्सा एक चौथाई से भी कम है, फिर भी अग्रिमों और जमा-राशियों में उनका हिस्सा सर्वाधिक था। इसी प्रकार, कुल आस्तियों में भी टियर-II बैंकों का बोलबाला था। शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में इनकी कुल आस्तियों का हिस्सा लगभग 81 प्रतिशत रहा (सारणी V.3)।

शहरी सहकारी बैंकों का तुलन-पत्र संबंधी परिचालन

ऋणों और अग्रिमों के साथ-साथ लिए गए उधार में हुई बढ़ोतरी की वजह से शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में विस्तार हुआ

5.16 मार्च 2011 के अंत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। देयता पक्ष के अंतर्गत, लिए गए उधारों और आस्ति पक्ष के अंतर्गत, ऋणों और अग्रिमों में हुई बढ़ोतरी के कारण उनके तुलन-पत्र में विस्तार हुआ। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की तुलना में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में तेज़ी से विस्तार हुआ।

सारणी V.3 : शहरी सहकारी बैंकों का टियरवार वर्गीकरण

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक टियर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमा-राशि		अग्रिम		आस्ति	
	संख्या	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	राशि	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	राशि	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	राशि	कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	1,279	77.8	40,779	19.2	24,918	18.3	52,377	19.2
II	366	22.2	1,71,252	80.8	1,11,423	81.7	2,20,924	80.8
कुल	**1,645**	**100.0**	**2,12,031**	**100.0**	**1,36,341**	**100.0**	**2,73,301**	**100.0**

5.17 मार्च 2011 के अंत में कुल देयताओं में जमा-राशि का हिस्सा 78 प्रतिशत था, अर्थात् शहरी सहकारी बैंक संसाधन जुटाने के लिए जमा-राशियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल देयताओं में जमा-राशियों के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई। वर्ष 2010-11 में कुल देयताओं में पूंजी और आरक्षित निधियों का हिस्सा कुल मिलाकर लगभग 12 प्रतिशत रहा। आस्ति पक्ष के अंतर्गत कुल आस्तियों में ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा लगभग आधा रहा, उसके बाद निवेशों और अन्य बैंक में उपलब्ध शेष राशि का क्रम था (सारणी V.4)।

शहरी सहकारी बैंकों की निवेश संबंधी गतिविधियां

कुल निवेश में एसएलआर लिखतों का सर्वाधिक हिस्सा बना रहा

5.18 वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों के कुल निवेश में गिरावट आई। वर्ष 2010-11 में जहां एसएलआर प्रतिभूतियों में किये गये कुल निवेश में लगातार वृद्धि हुई वहीं गैर-एसएलआर लिखतों में किए गए निवेश में गिरावट आई।

5.19 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल निवेश में एसएलआर लिखतों का हिस्सा लगभग 93 प्रतिशत था। कुल एसएलआर निवेश में केंद्र और राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा था। इसके अलावा 2010-11 में शहरी सहकारी बैंकों का राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में मीयादी जमाराशियों के रूप में किया गया निवेश उनके एसएलआर निवेशों का लगभग 1/5वां हिस्सा था। वर्ष 2010-11 में एसएलआर निवेशों की संरचना में भी बदलाव आया, क्योंकि शहरी सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंकों और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से अपने निवेश को निकालकर केंद्र और राज्य सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अंतरित करने लगे (सारणी V.5)।

5.20 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की तुलना में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के एसएलआर निवेशों की दर ऊँची रही। इन दोनों समूहों के गैर-एसएलआर निवेशों में गिरावट आई। तथापि, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक ने अपने कुल निवेश में गैर-अनुसूचित

सारणी V.4 : शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
देयताएं						
1. पूंजी	1,612	1,871	3,955	4,395	5,567	6,267
	(1.6)	(1.6)	(3.0)	(2.9)	(2.3)	(2.3)
2. आरक्षित निधि	10,377	11,066	14,153	15,195	24,531	26,260
	(10.0)	(9.3)	(10.6)	(9.9)	(10.3)	(9.6)
3. जमा-राशि	80,208	92,428	1,02,943	1,19,602	1,83,150	2,12,031
	(77.2)	(77.3)	(77.2)	(77.8)	(77.2)	(77.6)
4. उधार ली गई राशि	1,783	2,718	557	1,571	2,340	4,289
	(1.7)	(2.3)	(0.4)	(1.0)	(1.0)	(1.6)
5. अन्य देयताएं	9,916	11,483	11,766	12,973	21,682	24,455
	(9.5)	(9.6)	(8.8)	(8.4)	(9.1)	(8.9)
आस्तियां						
1. हाथ में नकदी	586	648	1,604	1,709	2,190	2,357
	(0.6)	(0.5)	(1.2)	(1.1)	(0.9)	(0.9)
2. बैंकों में शेष	10,290	11,010	10,238	12,880	20,528	23,890
	(9.9)	(9.2)	(7.7)	(8.4)	(8.7)	(8.7)
3. मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य मुद्रा	407	651	1,023	485	1,431	1,136
	(0.4)	(0.5)	(0.8)	(0.3)	(0.6)	(0.4)
4. निवेश	31,107	33,480	48,063	53,595	79,170	87,075
	(29.9)	(28.0)	(36.0)	(34.9)	(33.4)	(31.9)
5. ऋण और अग्रिम	50,647	61,772	61,789	74,569	1,12,436	1,36,341
	(48.7)	(51.7)	(46.3)	(48.5)	(47.4)	(49.9)
6. अन्य आस्तियां	10,859	12,005	10,657	10,498	21,516	22,503
	(10.5)	(10.0)	(8.0)	(6.8)	(9.1)	(8.2)
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,03,896**	**1,19,566**	**1,33,374**	**1,53,736**	**2,37,271**	**2,73,302**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का प्रतिशत हैं।

सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		घटबढ़ प्रतिशत	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
कुल निवेश (क+ख)	**79,169**	**87,075**	21.6	10.0
	(100.0)	**(100.0)**		
क. एसएलआर निवेश (i से vi तक)	**70,925**	**80,756**	29.3	13.9
	(89.6)	**(92.7)**		
i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	40,818	52,372	19.4	28.3
	(51.6)	(60.1)		
ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	7,791	10,127	79.4	30.0
	(9.8)	(11.6)		
iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	415	576	1.2	38.8
	(0.5)	(0.7)		
iv) राज्य सहकारी बैंकों में रखी गई मीयादी जमा-राशि	6,326	5,496	19.8	-13.1
	(8.0)	(6.3)		
v) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में रखी गई मीयादी जमा-राशि	13,839	10,861	51.8	-21.5
	(17.5)	(12.5)		
vi) अन्य, यदि कोई हो	1,736	1,324	13.1	-23.7
	(2.2)	(1.5)		
ख. गैर-एसएलआर निवेश	**8,244**	**6,319**	-19.4	-23.4
	(10.4)	**(7.3)**		

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल निवेश का प्रतिशत हैं।

शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश किया (चार्ट V.5)।

शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

आय में हुई बढ़ोतरी की वजह से शहरी सहकारी बैंकों के निवल लाभ में सुधार आया

5.21 वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के निवल लाभों में काफी वृद्धि हुई, संभवतः पिछले वर्ष वैश्विक वित्तीय संकट के स्पिलओवर प्रभाव से इसमें कमी आई थी। मुख्य रूप से व्यय में हुई बढ़ोतरी की तुलना में आय में तेजी से वृद्धि होने के कारण लाभों में वृद्धि हुई, जिससे इस क्षेत्र की समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार आया। गैर-अनुसूचित बैंकों, जिनकी आय की तुलना में व्यय में अधिक बढ़ोतरी हुई, के मामले में मुख्य रूप से आरक्षित निधियों और आकस्मिक व्ययों, करों और स्टाफ संबंधी व्ययों में आई कमी की वजह से लाभों में वृद्धि हुई (सारणी V.6)।

5.22 वर्ष 2010-11 में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लाभ और हानि लेखे की सभी प्रमुख मदों में धनात्मक वृद्धि हुई। निवल लाभों में काफी बढ़ोतरी होने की वजह से इस क्षेत्र की आस्तियों और निवल ब्याज मार्जिन से प्राप्त आय में समूचे तौर पर सुधार हुआ। आस्तिजन्य आय के बैंकवार आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकतर बैंकों ने 0-1.5 प्रतिशत के दायरे में आस्तिजन्य आय दर्ज की (सारणी V.7 और चार्ट V.7)।

शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता

आस्ति की गुणवत्ता

सकल एनपीए में वृद्धि हुई, तथापि, एनपीए के सकल और निवल दोनों अनुपातों में गिरावट आई

5.23 वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) में बढ़ोतरी हुई। तथापि, 2010-11 के दौरान निवल एनपीए अनुपातों के साथ-साथ सकल एनपीए अनुपातों में गिरावट आई, अर्थात् शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया। सकल और

चार्ट V.5: शहरी सहकारी बैंकों के निवेश की संरचना

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

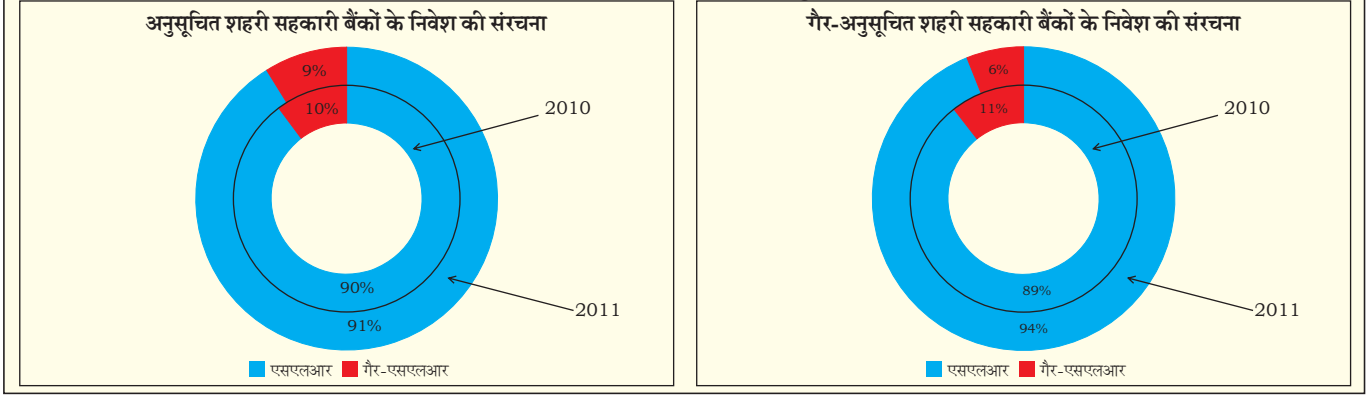

सारणी V.6: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन
(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	अनुसूचित		गैर-अनुसूचित		सभी शहरी सहकारी बैंक		घटबढ़ प्रतिशत (सभी शहरी सहकारी बैंक)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. कुल आय (i+ii)	**8,561**	**9,842**	**11,157**	**12,601**	**19,718**	**22,443**	**7.1**	**13.8**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याजजन्य आय	7,751	8,989	10,528	11,860	18,279	20,849	9.9	14.1
	(90.5)	(91.3)	(94.4)	(94.1)	(92.7)	(92.9)		
ii. गैर-ब्याजजन्य आय	810	853	629	741	1,439	1594	-19.1	10.8
	(9.5)	(8.7)	(5.6)	(5.9)	(7.3)	(7.1)		
ख. कुल व्यय (i+ii)	**7,347**	**7,809**	**9,500**	**10,770**	**16,847**	**18,579**	**12.7**	**10.3**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याजजन्य व्यय	5,334	5,536	6,670	7,601	12,004	13,137	12.3	9.4
	(72.6)	(70.9)	(70.2)	(70.6)	(71.3)	(70.7)		
ii. गैर-ब्याजजन्य व्यय	2,013	2,273	2,830	3,169	4,843	5,442	13.6	12.4
	(27.4)	(29.1)	(29.8)	(29.4)	(28.7)	(29.3)		
जिसमें से: स्टाफ संबंधी व्यय	1,010	1,154	1,776	1,667	2,786	2,821	17.9	1.3
ग. लाभ								
i. परिचालन लाभ की राशि	1,214	2,033	1,657	1,832	2,871	3,865	-17.0	34.6
ii. प्रावधान, आकस्मिक व्यय, कर	666	800	948	862	1,614	1,662	-18.5	12.7
iii. निवल लाभ की राशि	548	1,233	709	970	1,257	2,203	-19.6	75.3

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल राशि का प्रतिशत हैं।

निवल एनपीए अनुपातों में सुधार होने के साथ-साथ इस क्षेत्र के प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में भी बढ़ोतरी हुई (सारणी V.8)।

पूंजी पर्याप्तता

अधिकतर शहरी सहकारी बैंकों ने 9 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर दर्ज किया है

5.24 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार, लगभग 90 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों के पास 9 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर पाया गया। तथापि, 20 प्रतिशत के अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक 9 प्रतिशत के विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने से चूक गए। किंतु पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की स्थिति बेहतर रही, जिनमें से केवल 8 प्रतिशत बैंकों ने विनिर्दिष्ट सीमा से कम सीआरएआर बनाए रखने संबंधी सूचना दी है (चार्ट V.6)।

5.25 बैंकवार सीआरएआर के विश्लेषण से पता चलता है कि 9 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले अधिकांश यूसीबी ने ऋणात्मक

चार्ट V.6: सीआरएआर के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वर्गीकरण
(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

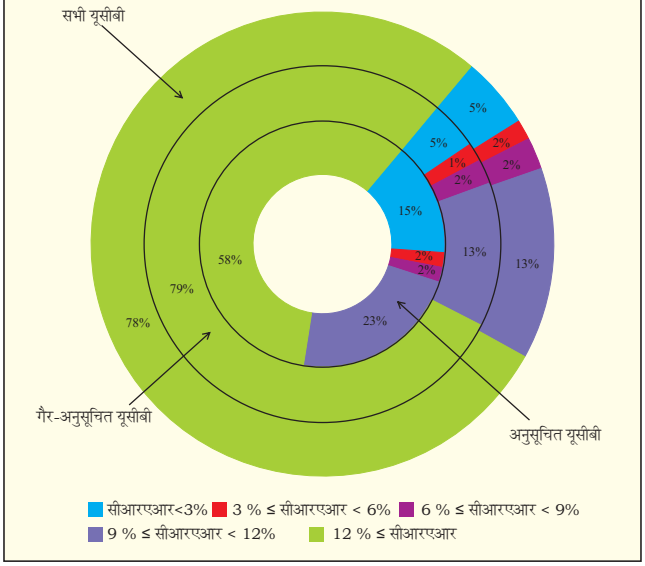

सारणी V.7: शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक

वित्तीय संकेतक	अनुसूचित		गैर-अनुसूचित		सभी शहरी सहकारी बैंक	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
आस्तिजन्य आय	0.57	1.10	0.57	0.68	0.57	0.86
निवल ब्याज मार्जिन	2.54	3.09	3.12	2.97	2.86	3.02

सारणी V.8: शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च'2010	मार्च'2011
1	2	3
1. सकल एनपीए	11,399	11,529
2. निवल एनपीए	3,821	3,130
3. सकल एनपीए अनुपात	10.1	8.5
4. निवल एनपीए अनुपात	3.9	2.5
5. प्रावधानीकरण	7,578	8,399
6. कवरेज अनुपात	66.5	72.9

टिप्पणी : 1. कवरेज अनुपात की गणना सकल एनपीए के प्रतिशत संबंधी प्रावधान के रूप में की गई है।
2. मद सं.3, 4 और 6 प्रतिशत में दर्शाई गई है।

सीआरएआर दर्ज किया। इन बैंकों का निराशाजनक वित्तीय निष्पादन इनके द्वारा रिपोर्ट की गई ऋणात्मक आस्तिजन्य आय में दिखाई पड़ता है (चार्ट V.7)।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी अग्रिम

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दी गई कुल अग्रिम राशि में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को लगभग 46 प्रतिशत का अग्रिम दिया गया

5.26 शहरी सहकारी बैंक समाज के छोटे और कमज़ोर वर्गों को पर्याप्त रूप से और सही समय पर ऋण देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का निर्धारण पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित बैंक ऋण के 40 प्रतिशत पर या तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र की क्रेडिट समतुल्य राशि की बराबर राशि पर किया गया[5]।

5.27 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दी गई उनकी कुल अग्रिम-राशि में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम का हिस्सा लगभग 46 प्रतिशत रहा। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिम का और विश्लेषण करने पर पता चलता है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिमों में लघु उद्यमों और आवास ऋणों को दिए गए अग्रिम का हिस्सा क्रमशः लगभग 59 और 26 प्रतिशत था। कुल अग्रिमों में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि के हिस्से में वर्ष 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई (चार्ट V.8)।

5.28 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों में से लगभग 14 प्रतिशत अग्रिम कमज़ोर वर्गों[6] को दिए गए, जिनमें लघु उद्यमों को दिए गए अग्रिमों का हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक रहा। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के

चार्ट V.7: शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर और आस्तिजन्य आय

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

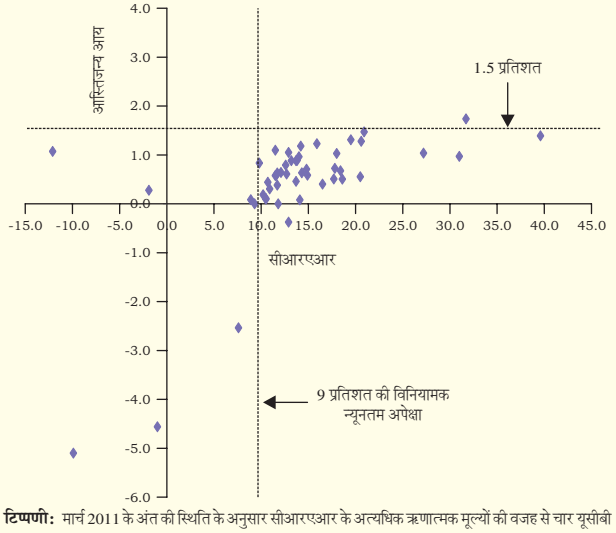

टिप्पणी: मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार सीआरएआर के अत्यधिक ऋणात्मक मूल्यों की वजह से चार यूसीबी को इस चार्ट में शामिल नहीं किया गया है।

चार्ट V.8: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों की संरचना

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

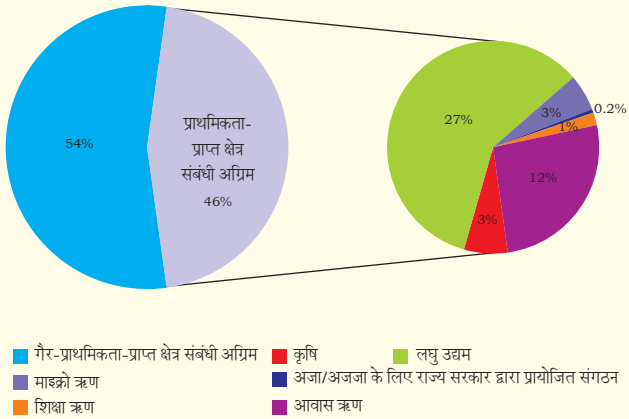

टिप्पणी: इस चार्ट में दर्शाए गए प्रतिशत यूसीबी द्वारा दिए गए कुल ऋणों और अग्रिमों के हैं।

[5] 30 अगस्त 2007 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा एचटीएम वर्ग के अंतर्गत धारित गैर-एसएलआर बांडों में किए गए विद्यमान निवेश को समायोजित बैंक ऋण के परिकलन के अंतर्गत हिसाब में नहीं लिया जाता है। किंतु बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर बांडों में नए सिरे से किए गए निवेशों को इस प्रयोजन हेतु हिसाब में लिया जाता है। साथ ही, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी लक्ष्यों/उप लक्ष्यों को निर्धारित करने में अंतर-बैंक एक्सपोजरों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

[6] प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों में कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिम शामिल हैं।

सारणी V.9: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कमज़ोर वर्गों को दिए गए अग्रिम

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	राशि	कुल अग्रिमों में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3
कृषि और संबद्ध गतिविधियां	1,507	1.1
जिनमें से 1. प्रत्यक्ष वित्त	555	0.4
2. अप्रत्यक्ष वित्त	952	0.7
लघु उद्यम	11,928	8.7
जिनमें से 1. प्रत्यक्ष वित्त	9,991	7.3
2. अप्रत्यक्ष वित्त	1,937	1.4
माइक्रो ऋण	1,000	0.7
अजा/अजजा के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित संगठन	96	0.1
शिक्षा ऋण	399	0.3
आवास ऋण	4,021	2.9
कुल	**18,951**	**13.9**

अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों में कमज़ोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत रहा (सारणी V.9)।

शहरी सहकारी बैंकों का भौगोलिक विस्तार

शहरी सहकारी बैंक का पश्चिम क्षेत्र में संकेंद्रण जारी रहा

5.29 शहरी सहकारी बैंकों की संख्या के अलावा, अग्रिमों और जमा-राशि के राज्यवार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि देश के पश्चिमी क्षेत्र में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या और बैंकिंग कारोबार की मात्रा अधिक बनी रही। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल शहरी सहकारी बैंकों में से लगभग 48 प्रतिशत बैंक पश्चिमी राज्यों में थे। उसके बाद कुल शहरी सहकारी बैंकों में से लगभग 34 प्रतिशत बैंक दक्षिणी राज्यों में थे। बैंकिंग कारोबार का अवलोकन करने पर पता चला कि कुल जमा-राशि और अग्रिम राशि का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पश्चिमी क्षेत्र में था। कुल जमा-राशि और अग्रिमों में दक्षिण भारत स्थित राज्यों का हिस्सा क्रमशः 14 और 16 प्रतिशत रहा। अतः देश के अन्य भागों, विशेष रूप से पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शहरी सहकारी बैंकों की कम उपस्थिति रही (चार्ट V.9)।

5.30 जमा-राशि और अग्रिम संबंधी राज्यवार आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि क्षेत्र-विशेष में भी कुछ ही राज्यों में इनका बैंकिंग कारोबार संकेंद्रित था। कुल जमा-राशि और अग्रिमों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु का लगभग 90 प्रतिशत का हिस्सा रहा। केवल महाराष्ट्र में 65 प्रतिशत से अधिक शहरी सहकारी बैंकों का बैंकिंग कारोबार रहा, इसके बाद क्रमशः गुजराज और कर्नाटक का स्थान था।

5.31 भौगोलिक संकेंद्रण के विभिन्न स्तरों के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न ग्रेडों का तुलनात्मक विश्लेषण करने की दृष्टि से शहरी सहकारी बैंकों की संख्या के अनुसार सर्वोच्च पांच राज्यों के हिस्से की, सबसे नीचे वाले पांच राज्यों के हिस्से के साथ तुलना की गई। इस विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भौगोलिक उपस्थिति की दृष्टि से ग्रेड-I के शहरी सहकारी बैंकों का संकेंद्रण स्तर अपेक्षाकृत कम रहा, इसके बाद क्रमिक रूप से ग्रेड II/III और ग्रेड IV का संकेंद्रण स्तर कम रहा (चार्ट V.10)।

चार्ट V.9: शहरी सहकारी बैंकों का क्षेत्रवार और राज्यवार स्वरूप

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

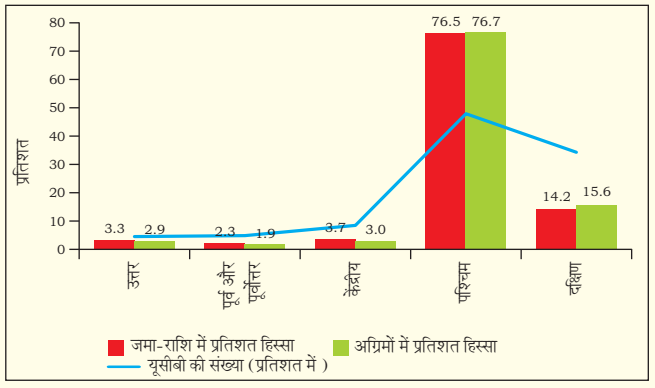

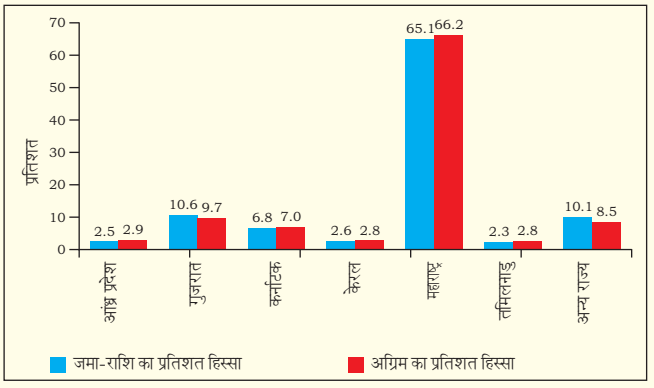

3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं[7]

दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर

5.32 मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार देश में कुल 95,765 ग्रामीण सहकारी संस्थाएं परिचालन में थीं। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की कुल संख्या में अधिकांश संस्थाएं अल्पावधि स्वरूप की थीं, जबकि देश में परिचालनरत कुल सहकारी संस्थाओं में दीर्घावधि स्वरूप की संस्थाओं का हिस्सा केवल एक प्रतिशत था। अल्पावधिक संरचना में राज्य सहकारी बैंकों और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी संस्थाओं ने लाभ दर्ज किए, जबकि बुनियादी स्तरीय संस्थाओं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को भारी घाटा हुआ। दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति अल्पावधिक सहकारी संस्थाओं की तुलना में कमज़ोर पाई गई, जिनमें से मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी ने हानि दर्ज की है।

5.33 राज्य सहकारी बैंक और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपना संसाधन जुटाने के लिए जमा-राशियों पर काफी निभर रहे, जबकि पीएसीएस, एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के मामले में कुल आस्तियों में उधारों का सर्वाधिक हिस्सा था। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं द्वारा दिए गए कुल ऋणों और अग्रिमों में लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का था, जिसके बाद प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और राज्य सहकारी बैंकों का क्रम रहा। कुल ऋणों और अग्रिमों में दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं का हिस्सा 3 प्रतिशत से भी कम था, जिससे पता चलता है कि ग्रामीण ऋण संवितरण में अल्पावधिक संरचना की प्रबलता है। आस्ति की गुणवत्ता और वसूली के निष्पादन की दृष्टि से अल्पावधिक सहकारी संस्थाओं (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को छोड़कर) की स्थिति दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं की तुलना में बेहतर रही। दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं के मामले में एनपीए अनुपात का स्तर ऊँचा रहा। तथापि, अल्पावधिक संरचना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने सबसे अधिक एनपीए अनुपात दर्ज किया, इससे पता चलता है कि इन बुनियादी स्तरीय सहकारी संस्थाओं की आस्ति की गुणवत्ता खराब है (सारणी V.10)।

चार्ट V.10: शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में सर्वोच्च और सबसे निचले पांच राज्यों के हिस्से का प्रतिशत
(मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार)

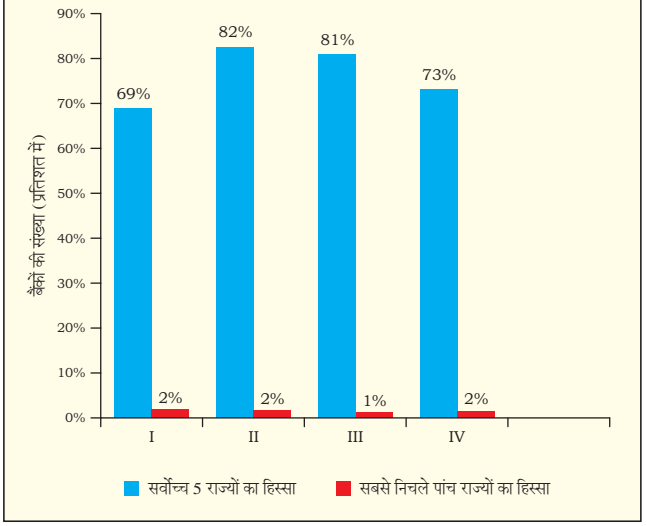

सहकारी संस्थाओं का प्रबंधन

कुल ग्रामीण सहकारी समितियों के बोर्डों में लगभग एक तिहाई बोर्ड अधिक्रमण के अधीन है

5.34 मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं (पीएसीएस को छोड़कर) की लगभग एक-तिहाई संस्थाओं के बोर्ड अधिक्रमण के अधीन थे। विभिन्न प्रकार की ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के बीच एससीएआरडीबी के बोर्ड सबसे अधिक प्रतिशत में अधिक्रमणाधीन रहे (सारणी V.11)।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की अल्पावधिक संरचना

5.35 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की अल्पावधिक संरचना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एसटीसीबी के रूप में परिचालन करने वाली शीर्ष संस्थाएं, ज़िला स्तर पर परिचालित डीसीसीबी और बुनियादी स्तर पर पीएसीएस परिचालनरत हैं। एसटीसीबी और डीसीसीबी के निवल लाभों में गिरावट आई, जबकि पीएसीएस को लगातार घाटा होता रहा। तथापि, मार्च 2010 के अंत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी और डीसीसीबी के एनपीए अनुपात में कमी आई।

राज्य सहकारी बैंक

वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी के तुलन-पत्र की वृद्धि धीमी हुई

5.36 वर्ष 2009-10 के दौरान एसटीसीबी के तुलन-पत्र में लगभग 12 प्रतिशत की दर पर विस्तार हुआ, जो कि 2008-09 के

[7] इस भाग में प्रस्तुत किया गया 2009-10 का आंकड़ा अनंतिम है।

सारणी V.10: ग्रामीण सहकारी बैंकों का स्वरूप
(31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	अल्पावधिक			दीर्घावधिक	
	एसटीसीबी	डीसीसीबी	पीएसीएस	एससीआरडीबी	पीसीएआरडीबी
1	2	3	4	5	6
क. सहकारी बैंकों की संख्या	31	370	94,647	20	697
ख. तुलन-पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधियां (पूंजी + आरक्षित निधियां)	11,871	31,370	12,479	4,510	5,165
ii. जमाराशि	79,150	1,46,404	35,286	759	461
iii. उधार राशि	23,559	28,735	51,764	15,581	12,832
iv. प्रदत्त ऋण और अग्रिम	53,588	1,18,393	74,938	3,205	2,465
v. बकाया ऋण और अग्रिम	49,629	1,07,466	76,480	17,000	11,482
vi. कुल देयताएं/आस्तियां	1,20,662	2,18,676	1,35,192 +	25,562	25,037
ग. वित्तीय निष्पादन					
i. लाभ कमाने वाली संस्थाएं					
क. संख्या	29	322	40,936	10	276
ख. लाभ की राशि	462	1,659	1,132	127	123
ii. घाटा उठाने वाली संस्थाएं					
क. संख्या	2	47*	41,679	9	416
ख. घाटे की राशि	209	523	2,347	155	538
iii. समग्र लाभ (+)/हानि (-)	253	1,136	-1,215	-27	-415
iv. संचित हानि	575	4757	-	1,190	4154
घ. अनर्जक आस्तियां					
i. राशि	4353	16,234	39,524 ++	5,642	4,841
ii. बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में	8.8	12.9	41.3	33.2	42.0
iii. मांग की तुलना में ऋण की वसूली (प्रतिशत)	91.8	75.7	-	41.0	41.5

एसटीसीबी : राज्य सहकारी बैंक, डीसीसीबी : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, पीएसीएस : प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, एससीएआरडीबी : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पीसीएआरडीबी : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
'-' : उपलब्ध नहीं. +: कार्यशील पूंजी. ++: कुल अतिदेय राशि. *: उड़ीसा स्थित नयागढ़ डीसीसीबी लाभ-हानि रहित स्थिति में है।
टिप्पणी : 1 सूचना उपलब्ध न होने के कारण बिहार, मणिपुर, केरल और पश्चिम बंगाल के राज्यों में स्थित एसटीसीबी की वर्ष 2009-10 की स्थिति दर्शाने के लिए पिछले वर्ष की स्थिति को दोहराया गया है।
2 बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में परिचालनरत डीसीसीबी संबंधी आंकड़े दोहराए गए हैं।
3 मणिपुर एससीएआरडीबी परिचालन में नहीं है।
4 पांच एससीएआरडीबी के वर्ष 2010 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत: नाबार्ड और एनएएफएससीओबी

दौरान हुई वृद्धि से कम है। एसटीसीबी के तुलन-पत्र के विस्तार के पीछे दो मुख्य कारण रहे, यथा- देयता पक्ष के अंतर्गत उधार ली गई राशि और अन्य देयताओं में हुई बढ़ोतरी तथा आस्ति पक्ष के अंतर्गत नकद और बैंक में शेष राशि एवं अन्य आस्तियों में हुई वृद्धि। देयता पक्ष के अंतर्गत एसटीसीबी के संसाधनों में सर्वाधिक हिस्सा जमा-राशियों का था, जबकि कुल आस्तियों में लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा निवेश का था। 2009-10 के दौरान निवेश में हुई वृद्धि की दर ऋणों तथा अग्रिमों की वृद्धि दर की तुलना में अधिक थी। इसके अलावा, मार्च 2010 के अंत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में कुल आस्तियों में निवेशों के हिस्से के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, वही, ऋणों और अग्रिमों के हिस्से में कमी आई (सारणी V.12)।

सारणी V.11: अधिक्रमण के अंतर्गत निर्वाचित बोर्ड
(31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	एसटीसीबी	डीसीसीबी	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी	**कुल**
1	2	3	4	5	6
(i) संस्थाओं की कुल संख्या	31	370	20	697	**1,118**
(ii) ऐसी संस्थाओं की संख्या जिनके बोर्ड अधिक्रमण के अधीन थे	9	86	9	265	**369**
अधिक्रमण के अंतर्गत रिपोर्टिंग बोर्डों का प्रतिशत [(i) के प्रतिशत के रूप में (ii)]	**29.0**	**23.2**	**45.0**	**38.0**	**33.0**

टिप्पणी : 1.बिहार, सिक्किम, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल स्थित एसटीसीबी और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल स्थित डीसीसीबी से संबंधित आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2009-10 के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।
2. त्रिपुरा स्थित एससीएआरडीबी परिचालन में नहीं है।
स्रोत: नाबार्ड

5.37 धारा 42(2) की विवरणियों में उपलब्ध अनुसूचित एसटीसीबी के तुलन-पत्र के प्रमुख संकेतकों के संबंध में अद्यतन की गई सूचना से यह पता चलता है कि वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में जमा-राशि में काफी गिरावट हुई है। इसके विपरीत, वर्ष 2010-11 में दिए गए कुल ऋण में काफी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी द्वारा एसएलआर लिखतों में किए गए निवेशों में कमी आई (चार्ट V.11)।

मुख्य रूप से आय में गिरावट आने से एसटीसीबी के लाभों में कमी आई

5.38 वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी के निवल लाभों में कमी आई। मुख्य रूप से वर्ष 2009-10 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में आय में धीमी गति से वृद्धि होने के कारण लाभ में गिरावट आई। पिछले दो वर्षों में एसटीसीबी की कुल आय की संरचना में स्पष्ट रूप से परिवर्तन भी हुआ, क्योंकि कुल आय में उनकी गैर-ब्याजजन्य

सारणी V.12: मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		प्रतिशत घटबढ़	
	2009#	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,569 (1.5)	1,631 (1.4)	2.3	4.0
2. आरक्षित निधियां	10,325 (9.5)	10,240 (8.5)	4.2	-0.8
3. जमा-राशियां	70,312 (65.0)	79,150 (65.6)	24.8	12.6
4. उधार	20,913 (19.3)	23,559 (19.5)	-7.4	12.7
5. अन्य देयताएं	4,997 (4.6)	6,083 (5.0)	7.8	21.7
आस्तियां				
1. नकद और बैंक शेष	7,960 (7.4)	9,367 (7.8)	-4.2	17.7
2. निवेश	46,567 (43.1)	54,334 (45.0)	47.6	16.7
3. ऋण और अग्रिम	48,400 (44.8)	49,629 (41.1)	-3.3	2.5
4. अन्य देयताएं	5,188 (4.8)	7,333 (6.1)	1.8	41.3
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,08,116 (100.0)**	**1,20,662 (100.0)**	**13.8**	**11.6**

#: वर्ष 2008-09 के आंकड़ों को अद्यतन किया गया है

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. 'आरक्षित निधियों' में कुछ बैंकों द्वारा दर्शाए गए लाभ-हानि लेखा में उपलब्ध शेष राशि शामिल है।
3. बिहार, मणिपुर, केरल और पश्चिम बंगाल स्थित एसटीसीबी की वर्ष 2009-10 की स्थिति दर्शाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

स्रोत: नाबार्ड

चार्ट V.11: अनुसूचित एसटीसीबी के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतक

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति)

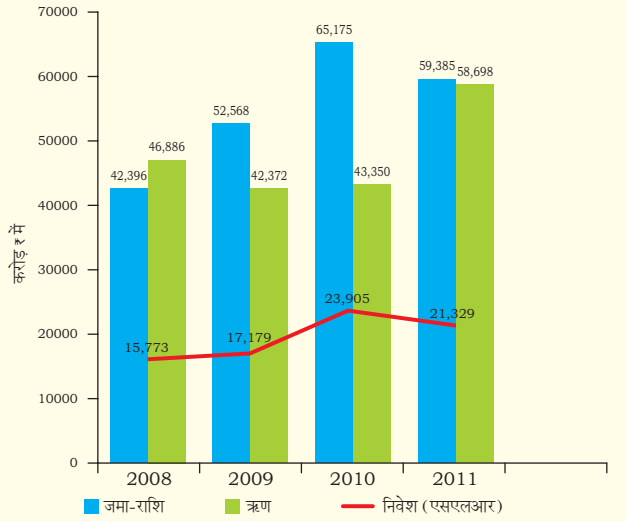

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत फार्म बी

आय के हिस्से में लगातार वृद्धि होती रही। यही प्रवृत्ति 2009-10 में भी बरकरार रही, जब गैर-ब्याजजन्य आय में ब्याजजन्य आय की तुलना में तीव्र गति से बढ़ोतरी होती रही। तथापि, 2010 में एसटीसीबी की कुल आय में लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा ब्याजजन्य आय का था।

5.39 व्यय पक्ष के अंतर्गत कुल व्यय में ब्याजजन्य व्यय का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक बना रहा। वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल परिचालन व्यय में गिरावट आने के बावजूद कुल वेतन बिल में काफी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2009-10 के दौरान प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में भी गिरावट आई (सारणी V.13)।

एसटीसीबी के एनपीए अनुपात में गिरावट आई, तथापि, 'हानि' एनपीए में तेज़ी से वृद्धि हुई

5.40 मार्च 2010 के अंत की स्थिति में एनपीए में समग्र और प्रतिशत के रूप में गिरावट आने के चलते पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी की आस्ति की गुणवत्ता में सुधार आया। एनपीए की विभिन्न श्रेणियों का और विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 2009-10 में मुख्यतः अव-मानक और संदिग्ध आस्तियों में गिरावट आने से एनपीए में कमी हुई, जबकि इसी अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में हानि वाली आस्तियों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी (सारणी V.14)।

सारणी V.13: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घटबढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**7,590**	**8,239**	**22.5**	**8.6**
	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याजजन्य आय	7,281	7,822	21.8	7.4
	(95.9)	(94.9)		
ii. अन्य आय	309	417	44.1	35.0
	(4.1)	(5.1)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**7,272**	**7,985**	**21.8**	**9.8**
	(100.0)	(100.0)		
i. व्यय किया गया ब्याज	5,729	6,595	24.9	15.1
	(78.8)	(82.6)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	451	393	-16.9	-12.9
	(6.2)	(4.9)		
iii. परिचालन व्यय	1,092	997	29.3	-8.7
	(15.0)	(12.5)		
जिसमें से, वेतन बिल	512	581	11.8	13.7
	(7.0)	(7.3)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	768	647	0.6	-15.8
ii. निवल लाभ	318	253	43.8	-20.4

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।
2. बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और केरल के वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

स्रोत: नाबार्ड

5.41 वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल एनपीए में 'अव-मानक' और 'हानि' वाले एनपीए वर्गों के प्रतिशत हिस्से में बढ़ोतरी हुई, तथापि, इसी अवधि में 'संदिग्ध' एनपीए के प्रतिशत हिस्से में गिरावट आई (चार्ट V.12)।

सारणी V.14: राज्य सहकारी बैंकों की सुदृढ़ता संबंधी संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		प्रतिशत घटबढ़	
	2009	2010	2009	2010
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**5,725**	**4,353**	-7.5	-24.0
i. अव-मानक	1,627	1,332	-41.9	-18.1
ii. संदिग्ध	3,822	2,219	44.1	-41.9
iii. हानि	276	802	-62.5	190.6
ख. ऋण के प्रति एनपीए अनुपात	**11.8**	**8.8**		
i. मांग की तुलना में वसूली (%)	91.8	91.8		
ii. अपेक्षित प्रावधान	2,883	2,861	8.5	-0.7
iii. किया गया प्रावधान	3,310	4,438	10.3	34.1

स्रोत: नाबार्ड

ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

ऋणों और अग्रिमों की तुलना में निवेशों में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई

5.42 वर्ष 2009-10 में देयता के अंतर्गत जमा-राशि और 'अन्य' देयताओं में बढ़ोतरी होने की वजह से डीसीसीबी के तुलन-पत्र में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2008-09 की तुलना में इस अवधि में निवेशों की गति धीमी रही।

5.43 वर्ष 2009-10 में डीसीसीबी की कुल देयताओं में जमा-राशियों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा था जो इस बात को दर्शाता है कि वे निधि की प्राप्ति के लिए जमा-राशि पर काफी निर्भर थे। साथ ही साथ, कुल देयताओं में जमाराशियों और आरक्षित निधियों के प्रतिशत हिस्से में कमी आई।

5.44 आस्ति पक्ष के अंतर्गत कुल आस्तियों में ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा लगभग आधा रहा, जबकि उनमें निवेशों का हिस्सा लगभाग एक-तिहाई था। 2008-09 में ऋणों और अग्रिमों में गिरावट हुई, जबकि वर्ष 2009-10 में बढ़ोतरी हुई। तथापि, वर्ष 2009-10 में ऋणों और अग्रिमों में हुई वृद्धि की तुलना में इस अवधि में निवेश की वृद्धि अधिक रही। तथापि, वर्ष 2009-10 के दौरान ऋणों और अग्रिमों की राशि की तुलना में निवेश की राशि में हुई उच्चतर वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि डीसीसीबी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं

चार्ट V.12: एसटीसीबी के विभिन्न प्रकार के एनपीए वर्गों का प्रतिशत हिस्सा

(मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार)

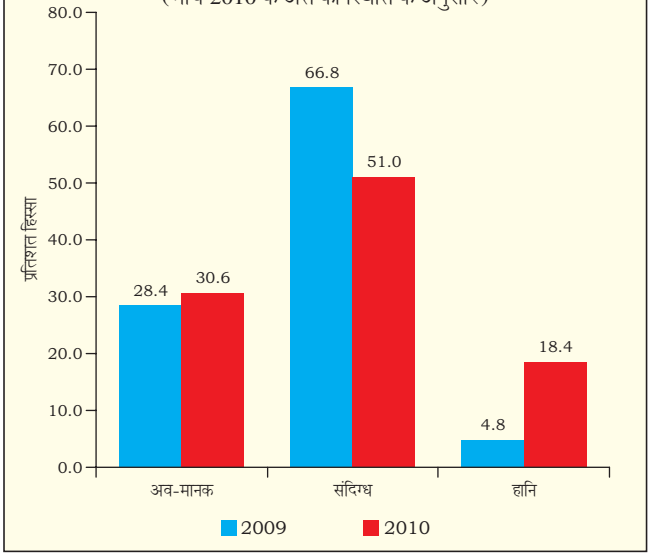

सारणी V.15: ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार		प्रतिशत घटबढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	6,578	7,309	10.8	11.1
	(3.4)	(3.3)		
2. आरक्षित निधि	23,227	24,061	3.4	3.6
	(11.9)	(11.0)		
3. जमाराशियां	1,27,623	1,46,404	16.4	14.7
	(65.2)	(67.0)		
4. उधार	27,663	28,735	-13.9	3.9
	(14.1)	(13.1)		
5. अन्य देयताएं	10,593	12,168	21.1	14.9
	(5.4)	(5.6)		
आस्तियां				
1. नकद और बैंक शेष	12,917	14,797	21.8	14.6
	(6.6)	(6.8)		
2. निवेश	64,709	75,913	34.2	17.3
	(33.1)	(34.7)		
3. ऋण और अग्रिम	99,429	1,07,466	-1.8	8.1
	(50.8)	(49.1)		
4. अन्य आस्तियां	18,629	20,500	-1.0	10.0
	(9.5)	(9.4)		
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,95,684**	**2,18,676**	**9.4**	**11.7**
	100.0	**100.0**		

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
2. 'आरक्षित निधियों' में लाभ-हानि लेखा में उपलब्ध शेष राशि शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।
3. बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल के मामले में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2009-10 के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

स्रोत: नाबार्ड

के चलते देशी संवृद्धि में अधोमुखी जोखिम बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए उससे बचने के लिए ऋण देने के बजाय निवेश को प्राथमिकता देते रहे हैं (सारणी V.15)।

मुख्य रूप से परिचालन व्ययों में बढ़ोतरी होने की वजह से डीसीसीबी के निवल लाभों में कमी आई

5.45 वर्ष 2009-10 में डीसीसीबी के निवल लाभों में काफी कमी आने की वजह से उनका समग्र वित्तीय निष्पादन खराब रहा। इसके विपरीत, पिछले वर्ष में इन संस्थाओं के वित्तीय निष्पादन में सुधार आया था जब डीसीसीबी उसके पिछले वर्ष की तुलना में समग्र लाभ दर्ज कर रहे थे।

5.46 डीसीसीबी के लाभ-हानि लेखे के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करने पर पता चला कि मुख्य रूप से परिचालन व्ययों में तेज़ी से बढ़ोतरी होने की वजह से लाभों में कमी आई। वर्ष 2009-10 में डीसीसीबी के कुल व्यय में ब्याजजन्य व्यय का सर्वाधिक हिस्सा रहा, जोकि उस अवधि में ब्याजजन्य आय की तुलना में तीव्र गति से बढ़ रहा था। वर्ष 2008-09 की तुलना में 2009-10 में काफी धीमी गति से ब्याजजन्य आय, जोकि डीसीसीबी की आय में प्रमुख घटक है, में बढ़ोतरी हुई (सारणी V.16)।

एनपीए अनुपात में कमी होने से डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया

5.47 मार्च 2010 के अंत में पिछले वर्ष के क्रम में डीसीसीबी की आस्ति गुणवत्ता में बेहतरी की प्रवृत्ति जारी रही। पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में कुल एनपीए के साथ-साथ एनपीए अनुपात में गिरावट आई। एसटीसीबी की तरह डीसीसीबी के कुल एनपीए में हानि वाली आस्तियों के हिस्से के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद संदिग्ध और अव-मानक आस्तियों के हिस्से के प्रतिशत में गिरावट आई। कुल एनपीए में क्रमशः अव-मानक आस्तियों और संदिग्ध आस्तियों का सर्वाधिक हिस्सा रहा। पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2010 के अंत में डीसीसीबी के वसूली निष्पादन में भी सुधार आया (सारणी V.17)।

सारणी V.16: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**16,302**	**17,713**	**24.1**	**8.7**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याजजन्य आय	14,817	15,936	23.7	7.6
	(90.9)	(90.0)		
ii. अन्य आय	1,485	1,777	28.6	19.7
	(9.1)	(10.0)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**14,949**	**16,576**	**12.6**	**10.9**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. व्यय किया गया ब्याज	9,413	10,330	19.6	9.7
	(63.0)	(62.3)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	2,119	2,228	-12.5	5.1
	(14.2)	(13.4)		
iii. परिचालन व्यय	3,417	4,018	14.7	17.6
	(22.9)	(24.2)		
जिसमें से, वेतन बिल	2,255	2,618	13.9	16.1
	(15.1)	(15.8)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	3,473	3,363	52.1	-3.2
ii. निवल लाभ	1,353	1,136	-	-16.0

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं।
2. बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल के मामले में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2007-08 के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े दोहराए गए हैं।

स्रोत: नाबार्ड

बॉक्स V.2: राज्य सहकारी बैंकों की सुदृढ़ता

एक प्रवृत्तिपरक विश्लेषण

राज्य सहकारी बैंक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की अल्पावधिक संरचना के अंतर्गत शीर्ष संस्था होते हैं। अतः राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति का अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं पर काफी असर पड़ता है। विशेष रूप से हाल के वर्षों में बुनियादी स्तरीय सहकारी संस्थाओं या पीएसीएस को काफी घाटा होने के परिप्रेक्ष्य में एसटीसीबी द्वारा उन पीएसीएस को सहायता प्रदान करना उनकी अपनी वित्तीय सुदृढता पर निर्भर है।

चूंकि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं से संबंधित जोखिम-भारित आस्ति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतः एसटीसीबी के जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) का परिकलन करना संभाव नहीं था। तथापि, एसटीसीबी की पूंजी पर्याप्तता के कच्चे परिकलन को ही निवेश और अग्रिम की तुलना में पूंजी और आरक्षित निधि के अनुपात के रूप में मान लिया गया। हाल के वर्षों में यह अनुपात 12-15 प्रतिशत के दायरे में रहा, किंतु पिछले दो वर्षों में इसमें मामूली गिरावट आई (चार्ट 2.1)। एसटीसीबी का उच्च लीवरेज अनुपात[8] ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के लिए एक चिंता की बात बनी हुई है और यह उन्हें बुनियादी स्तरीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करने से भी रोकता है।

वर्ष 2006 से एसटीसीबी के एनपीए में समग्र रूप से और प्रतिशत में लगातार गिरावट आती रही है। एनपीए की तीन प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत कमी आने की वजह से इस प्रकार गिरावट हुई, तथापि, 2009-10 में 'हानि' वाली श्रेणी में बढ़ोतरी हुई। इसके बावजूद, वाणिज्य बैंकों की तुलना में एसटीसीबी का एनपीए अनुपात अधिक रहा। 2005-09 की अवधि में एसटीसीबी के अनुपात की संरचना में एक और महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति देखी गई कि कुल एनपीए में 'अव-मानक' एनपीए के प्रतिशत हिस्से में कमी हुई। साथ ही, कुल एनपीए में 'संदिग्ध' एनपीए के प्रतिशत हिस्से में बढ़ोती हुई, किंतु 2010 में उसमें गिरावट आई। 2005-09 की अवधि में कुल एनपीए में 'संदिग्ध' एनपीए के प्रतिशत हिस्से में हुई बढ़ोतरी से यह पता चला कि हाल के वर्षों में कुल एनपीए में एसटीसीबी का एनपीए कम होने का नाम नहीं ले रहा था।

वर्ष 2007 से एसटीसीबी के प्रावधान कवरेज अनुपात में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। इसके अलावा, एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2010 में पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी के प्रावधान कवरेज अनुपात में तीव्र वृद्धि हुई।

एसटीसीबी की क्षमता - ऋण जोखिम में बढ़ोतरी की एक दबाव परीक्षा

आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण एसटीसीबी के लिए एक बैंक स्तरीय दबाव परीक्षा चलाना संभव नहीं था। तथापि, बढ़े हुए ऋण जोखिम का सामना करने में एसटीसीबी की क्षमता का विश्लेषण करने हेतु एक प्रणाली स्तरीय दबाव परीक्षा चलाई गई। उस दबाव परीक्षा में यह मान लिया गया कि अव-मानक आस्तियों के मामले में 25 प्रतिशत तथा संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में 100 प्रतिशत की प्रावधानीकरण-अपेक्षा को बढ़ाने के साथ-साथ एसटीसीबी के सकल एनपीए में 100, 200 और 300 प्रतिशत में बढ़ोतरी हो जाता है। यह मान लिया गया कि तीनों परिस्थितियों में विभिन्न श्रेणी के एनपीए के अनुपात में कोई बदलाव नहीं है। बढ़ी हुई प्रावधानीकरण-अपेक्षा को पहले एसटीसीबी के परिचालन लाभों में से समायोजित किया गया। उसके बाद अवशिष्ट प्रावधानीकरण-अपेक्षाओं, यदि कोई हों, को पूंजी से घटाया गया। एसटीसीबी की कोई जोखिम भारित आस्तियां उपलब्ध न होने की वजह से सीआरएआर का परिकलन पूंजी (प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं का समायोजन करने के बाद) और आरक्षित निधि के प्रति निवेशों (जोखिम भारित) और अग्रिमों के अनुपात के रूप में किया गया। एसटीसीबी द्वारा एसएलआर लिखतों में किए गए निवेशों के लिए शून्य प्रतिशत का जोखिम भारांक मान लिया गया (आरबीआई अधिनियम की धारा 42(2) के फार्म बी के अनुसार प्राप्त किए आंकड़ों के आधार पर)। निम्नांकित सारणी में दबाव परीक्षा के परिणाम दिए गए हैं।

सारणी 2.1: ऋण जोखिम संबंधी दबाव परीक्षा के परिणाम-एसटीसीबी

मद	परिस्थिति I	परिस्थिति II	परिस्थिति III
1	2	3	4
एनपीए में बढ़ोतरी प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं	100% अव-मानक आस्तियों के लिए 25 प्रतिशत और संदिग्ध/हानि वाली आस्तियों के लिए 100 प्रतिशत	200% अव-मानक आस्तियों के लिए 25 प्रतिशत और संदिग्ध/हानि वाली आस्तियों के लिए 100 प्रतिशत	300% अव-मानक आस्तियों के लिए 25 प्रतिशत और संदिग्ध/हानि वाली आस्तियों के लिए 100 प्रतिशत
सीआरएआर (वास्तविक)	15.8	15.8	15.8
दबाव की स्थिति में सीआरएआर	7.7	3.3	-1.2

दबाव परीक्षा के परिणामों से पता चला कि दबाव की उपर्युक्त परिस्थितियों में सीआरएआर का स्तर काफी गिरने के साथ-साथ एनपीए के स्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने की स्थिति में प्रणाली के स्तर पर एसटीसीबी के सीआरएआर पर काफी असर पड़ता है।

चार्ट 2.1: एसटीसीबी की पूंजी पर्याप्तता, लीवरेज और एनपीए की प्रवृत्ति

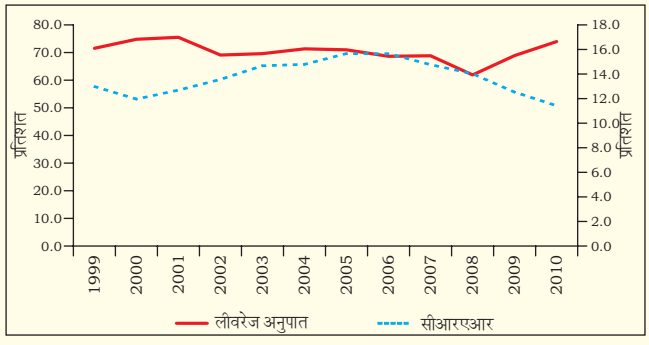

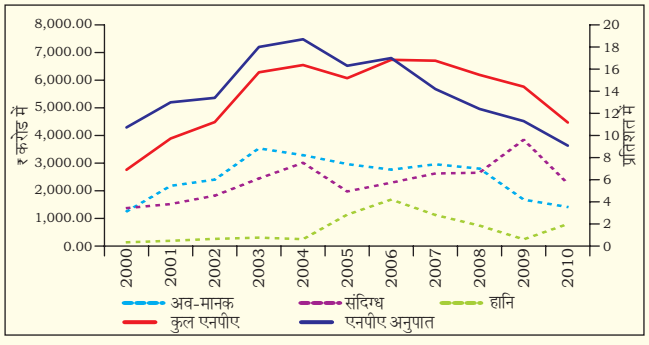

[8] इसका परिकलन आस्ति और पूंजी के अनुपात के रूप में किया जाता है।

सारणी V.17: ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की सुदृढ़ता संबंधी संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ ii + iii)	**17,989**	**16,234**	**-4.1**	**-9.8**
i) अव-मानक	8,110	7,229	2.9	-10.9
	(45.1)	(44.5)		
ii) संदिग्ध	7,202	6,394	-12.3	-11.2
	(40.0)	(39.4)		
iii) हानि	2,677	2,611	0.7	-2.5
	(14.9)	(16.1)		
ख. ऋणों की तुलना में एनपीए का प्रतिशत	**17.9**	**12.9**		
i) मांग की तुलना में वसूली (%)	72.7	75.7		
ii) अपेक्षित प्रावधान	10,225	10,984	-1.6	7.4
iii) किया गया प्रावधान	11,463	12,393	-5.1	8.1

स्रोत : नाबार्ड

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस)

5.48 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण प्रदान करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती रहीं। पीएसीएस अल्पावधिक ग्रामीण ऋणदात्री सहकारी संस्थाओं का एक अभिन्न अंग हैं, जो बुनियादी स्तर पर कार्य करती हैं और किसानों और ग्रामीण कारीगारों को अल्पावधिक फसल ऋण और अन्य कार्यशील पूंजी ऋण देती हैं।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई

5.49 वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में पीएसीएस के तुलन-पत्रगत परिचालनों में काफी विस्तार हुआ। मुख्य रूप से जमा-राशि में हुई वृद्धि की वजह से पीएसीएस की कार्यशील पूंजी में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2009-10 में पीएसीएस के कुल संसाधनों में उधार राशि का आधे से अधिक हिस्सा रहा, इससे स्पष्ट है कि वे निधि जुटाने में बाहरी स्रोतों पर अधिक निर्भर रहती हैं। वर्ष 2009-10 में पीएसीएस द्वारा दिए गए कुल ऋणों में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2009-10 में मध्यावधिक ऋणों की तुलना में अल्पावधिक ऋणों, जिसका पीएसीएस द्वारा दिए गए कुल ऋणों में 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, में तीव्र गति से वृद्धि हुई (सारणी V.18)।

लगभग 43 प्रतिशत पीएसीएस ने हानि रिपोर्ट की

5.50 पीएसीएस के वित्तीय निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि देशभर में परिचालरत कुल पीएसीएस में से 43 प्रतिशत पीएसीएस घाटा उठा रही थी, जबकि 5 प्रतिशत पीएसीएस निष्क्रिय या परिचालन में नहीं थी। आम तौर पर इससे इन संस्थाओं का कमज़ोर वित्तीय निष्पादन दिखाई पड़ता है। तथापि, मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत पीएसीएस को व्यवहार्य पीएसीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 23 प्रतिशत पीएसीएस को संभावित रूप से व्यवहार्य पीएसीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की दीर्घावधिक संरचना

5.51 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की दीर्घावधिक संरचना के अंतर्गत राज्य के स्तर पर परिचालनरत एससीएआरडीबी और ज़िला/खंड के स्तर पर परिचालित पीसीएआरडीबी शामिल हैं। वर्ष 2009-10 में एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी दोनों ने निवल हानि रिपोर्ट की। इसके अलावा, 2009-10 में इनके सकल एनपीए में बढ़ोतरी हुई, तथापि, पीसीएआरडीबी के एनपीए अनुपात में मामूली गिरावट आई।

सारणी V.18: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - चुनिंदा तुलन-पत्रगत संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. देयताएं				
1. कुल संसाधन (2+3+4)	87,080	99,529	3.3	14.3
2. स्वाधिकृत निधियां (क+ख)	11,896	12,479	8.3	4.9
क. प्रदत्त पूंजी	7,007	7,148	6.2	2.0
जिसमें से,				
सरकार का योगदान	603	656	-4.1	8.9
ख. कुल आरक्षित निधियां	4,889	5,330	11.4	9.0
3. जमा-राशियां	26,245	35,286	3.1	34.4
4. उधार राशियां	48,938	51,764	2.3	5.8
5. कार्यशील पूंजी	94,585	1,35,192	7.4	42.9
ख. आस्तियां				
1. प्रदत्त कुल ऋण (क+ख)*	58,787	74,938	2.0	27.5
क) अल्पावधिक	48,022	61,951	1.3	29.0
ख) मध्यावधिक	10,765	12,987	5.0	20.6
2. बकाया कुल ऋण (क+ख)	64,044	76,480	-2.5	19.4
क) अल्पावधिक	45,686	54,970	4.6	20.3
ख) मध्यावधिक	18,359	21,510	-16.4	17.2

टिप्पणी: * - वर्ष के दौरान
स्रोत: एनएएफएससीओबी

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी)

एससीएआरडीबी की उधार राशि में गिरावट आई जबकि पूंजी और आरक्षित निधियां दोनों में हुई वृद्धि से उनकी देयताओं के हिस्से में वृद्धि हुई

5.52 वर्ष 2009-10 में एससीएआरडी की कुल आस्तियों/देयताओं में 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जबकि 2008-09 में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2009-10 में देयता पक्ष के अंतर्गत उधार, जोकि निधि जुटाने का प्रमुख स्रोत है, में ऋणात्मक वृद्धि हुई। जबकि इस अवधि में देयता पक्ष के अंतर्गत अन्य प्रमुख मदों, अर्थात् निवल स्वाधिकृत निधि (पूंजी और आरक्षित निधि) और जमाराशि, में बढ़ोतरी हुई।

5.53 मार्च 2010 के अंत में आस्ति पक्ष के अंतर्गत कुल आस्तियों में ऋणों और अग्रिमों का हिस्सा लगभग दो-तिहाई रहा। वर्ष 2010 में कुल आस्तियों के अंतर्गत एक और प्रमुख घटक, अर्थात् 'अन्य आस्तियों' में गिरावट आई। हालाँकि वर्ष 2009-10 में किए गए निवेशों की गति पिछले वर्ष की तुलना में धीमी हुई, फिर भी वर्ष 2009-10 में इसमें ऋणों और अग्रिमों की तुलना में ऊँची दर पर वृद्धि हुई (सारणी V.19)।

एससीएआरडीबी ने निवल हानि रिपोर्ट की जबकि पिछले वर्ष उन्होंने निवल लाभ रिपोर्ट किया था

5.54 वर्ष 2009-10 में एससीएआरडीबी का वित्तीय निष्पादन काफी खराब हुआ। उल्लेखनीय है कि एससीएआरडीबी ने वर्ष 2009-10 में निवल हानि रिपोर्ट की है, जबकि उन्होंने वर्ष 2008-09 में लाभ रिपोर्ट किया था। एक ओर ब्याजजन्य आय में काफी गिरावट आने और दूसरी ओर परिचालन व्ययों, जिनमें वेतन संबंधी व्यय शामिल है, में हुई बढ़ोतरी की वजह से उनका वित्तीय निष्पादन खराब रहा। हालाँकि प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में काफी गिरावट के साथ-साथ ब्याज पर किए गए व्यय में भी मामूली गिरावट आई, फिर भी इससे आय में हुई कमी, जो कि 2008-09 की लगभग एक-तिहाई के बराबार है, की भरपाई नहीं हो पाई (सारणी V.20)।

एससीएआरडीबी के लाभों में गिरावट आई, साथ ही, एनपीए अनुपात में बढ़ोतरी हुई

5.55 वर्ष 2009-10 में एससीएआरडीबी की लाभप्रदता में काफी कमी आई और उनके एनपीए में बढ़ोतरी हुई। एनपीए की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 'अव-मानक' और 'संदिग्ध' श्रेणियों में बढ़ोतरी हुई, जबकि 'हानि' वाले एनपीए में कमी आई। कुल एनपीए में 'अव-मानक' एनपीए का हिस्सा सबसे बड़ा रहा, उसके बाद 'संदिग्ध' और 'हानि' श्रेणी के एनपीए का क्रम था। तथापि, मार्च 2010 के अंत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में वसूली में एससीएआरडीबी के वित्तीय निष्पादन में सुधार आया (सारणी V.21)।

सारणी V.19: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	812	821	-33.5	1.0
	(3.2)	(3.2)		
2. आरक्षित निधियां	3,191	3,688	15.4	15.6
	(12.6)	(14.4)		
3. जमा-राशियां	711	759	8.6	6.7
	(2.8)	(3.0)		
4. उधार-राशियां	15,849	15,581	-1.6	-1.7
	(62.4)	(61.0)		
5. अन्य देयताएं	4,823	4,713	20.2	-2.3
	(19.0)	(18.4)		
आस्तियां				
1. नकद और बैंक शेष	189	197	-22.5	4.3
	(0.7)	(0.8)		
2. निवेश	2,941	3,141	15.6	6.8
	(11.6)	(12.3)		
3. ऋण और अग्रिम	16,420	17,000	-11.2	3.5
	(64.7)	(66.5)		
4. अन्य आस्तियां	5,836	5,224	67.3	-10.5
	(23.0)	(20.4)		
कुल देयताएं/आस्तियां	**25,386**	**25,562**	**2.5**	**0.7**
	(100.0)	**(100.0)**		

नोट: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल राशि के प्रतिशत हैं।
2. महाराष्ट्र के मामले में एससीएआरडीबी के वर्ष 2007-08 के आंकड़े दोहराए गए हैं।
3. मणिपुर स्थित एससीआरडीबी परिचालन में नहीं है।

स्रोत: नाबार्ड

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी)

वर्ष 2009-10 में पीसीएआरडीबी के तुलन-पत्र में कम दर पर बढ़ोतरी हुई

5.56 वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में पीसीएआरडीबी की 'अन्य' आस्तियों और देयताओं में आए संकुचन और उनके तुलन-पत्रों के दो प्रमुख घटकों, यथा- उधार ली गई राशि तथा ऋण एवं अग्रिम, में धीमी गति से बढ़ोतरी होने की वजह से उनके तुलन-पत्र की वृद्धि दर में कमी आई। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार

सारणी V.20: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क आय (i+ii)	**3,009**	**2,012**	**65.0**	**-33.1**
	(100.0)	(100.0)		
i ब्याजजन्य आय	2,774	1,737	64.6	-37.4
	(92.2)	(86.3)		
ii अन्य आय	235	275	69.3	17.1
	(7.8)	(13.7)		
ख व्यय (i+ii+iii)	**2,960**	**2,040**	**43.2**	**-31.1**
	(100.0)	(100.0)		
i व्यय किया गया ब्याज	1,330	1,303	3.7	-2.0
	(44.9)	(63.9)		
ii प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1,390	450	147.7	-67.7
	(47.0)	(22.1)		
iii परिचालन व्यय	240	287	7.7	19.6
	(8.1)	(14.1)		
जिसमें से, वेतन बिल	194	233	19.7	20.3
	(6.5)	(11.4)		
ग लाभ				
i परिचालन लाभ	1,439	422	352.2	-70.6
ii निवल लाभ (+)/ हानि (-)	49	-27	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं।
2. महाराष्ट्र स्थित एससीएआरडीबी के आंकड़े दोहराए गए हैं।
3. मणिपुर का एससीएआरडीबी परिचालन में नहीं है।
स्रोत: नाबार्ड

पीसीएआरडीबी के कुल संसाधनों में उधार ली गई राशियों का हिस्सा आधे से अधिक रहा, जबकि उनमें पूंजी और आरक्षित निधियों का समग्र हिस्सा 21 प्रतिशत था। आस्ति पक्ष के अंतर्गत 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा सर्वाधिक रहा, जिसके बाद ऋणों एवं अग्रिमों तथा निवेशों का क्रम रहा। वर्ष 2009-10 में ऋणों और अग्रिमों की तुलना में निवेशों में उच्च दर पर वृद्धि हुई (सारणी V.22)।

सारणी V.21: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की सुदृढ़ता संबंधी संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**4,948**	**5,641**	**-23.1**	**14.0**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) अव-मानक	2,942	3,475	-15.1	18.1
	(59.5)	(61.6)		
ii) संदिग्ध	1,970	2,146	-28.7	9.0
	(39.8)	(38.0)		
iii) हानि	36	20	-82.8	-43.7
	(0.7)	(0.4)		
ख. ऋणों की तुलना में एनपीए का अनुपात	**30.4**	**33.2**		
i) मांग की तुलना में वसूली (%)	40.7	41.0		
ii) अपेक्षित प्रावधान	1,466	1,218	13.9	-16.9
iii)किया गया प्रावधान	1,493	1,536	16.0	2.9

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत: नाबार्ड

स्टाफ संबंधी व्ययों में तेज़ी से बढ़ोतरी होने से पीसीएआरडीबी को अधिक घाटा हुआ

5.57 वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में हानि में बढ़ोतरी होने से पीसीएआरडीबी का वित्तीय निष्पादन खराब रहा। ब्याजजन्य और गैर-ब्याजजन्य आय दोनों में कमी आने की वजह से पीसीएआरडीबी की आय में समग्र रूप से गिरावट आई। व्यय पक्ष के अंतर्गत स्टाफ संबंधी व्ययों तथा प्रावधान और आकस्मिक व्ययों में तेज़ गति से बढ़ोतरी हुई। तथापि, उल्लेखनीय है कि पीसीएआरडीबी ने मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार परिचालनगत लाभ दर्ज किए, किंतु उच्च प्रावधानीकरण और आकस्मिक व्ययों की वजह से उन्होंने निवल हानि दर्ज की (सारणी V.23)।

पीसीएआरडीबी के एनपीए अनुपात में मामूली गिरावट आई

5.58 मार्च 2010 के अंत में पिछले वर्ष की तुलना में पीसीएआरडीबी के कुल एनपीए में राशि के रूप में बढ़ोतरी हुई। तथापि, इसी अवधि में पीसीएआरडीबी के एनपीए अनुपात में मामूली

सारणी V.22: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	1,515	1,527	69.4	0.8
	(6.1)	(6.1)		
2. आरक्षित निधि	3,493	3,638	15.0	4.2
	(14.1)	(14.5)		
3. जमा-राशि	400	461	17.8	15.2
	(1.6)	(1.8)		
4. उधार ली गई राशि	12,365	12,832	16.4	3.8
	(49.8)	(51.3)		
5. अन्य देयताएं	7,073	6,579	32.8	-7.0
	(28.5)	(26.3)		
आस्तियां				
1. नकद और बैंक शेष	236	268	86.2	13.6
	(0.9)	(1.1)		
2. निवेश	1,122	1,167	27.6	4.0
	(4.5)	(4.7)		
3. ऋण और अग्रिम	11,268	11,482	13.7	1.9
	(45.4)	(45.9)		
4. अन्य आस्तियां	12,219	12,120	31.3	-0.8
	(49.2)	(48.4)		
कुल देयताएं/आस्तियां	**24,846**	**25,037**	**22.9**	**0.8**
	100.0	**100.0**		

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं।
स्रोत: नाबार्ड

सारणी V.23: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**2,022**	**1,831**	**29.2**	**-9.4**
	(100.0)	(100.0)		
i. ब्याजजन्य आय	1,431	1,292	4.8	-9.8
	(70.8)	(70.5)		
ii. अन्य आय	591	540	195.8	-8.7
	(29.2)	(29.5)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**2,221**	**2,248**	**15.3**	**1.2**
	(100.0)	(100.0)		
i. व्यय किया गया ब्याज	1,217	1,138	22.9	-6.5
	(54.8)	(50.6)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	545	596	-12.3	9.3
	(24.6)	(26.5)		
iii. परिचालन व्यय	458	513	46.0	12.0
	(20.6)	(22.8)		
जिनमें से, वेतन बिल	191	285	-9.4	49.2
	(8.6)	(12.7)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	347	180	32.5	-48.1
ii. निवल लाभ	-199	-417	-	-

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल राशि के प्रतिशत हैं।
स्रोत: नाबार्ड

सारणी V.24: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घट-बढ़	
	2009	2010	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
क. कुल एनपीए (i+ii+iii)	**4,742**	**4,840**	**-7.3**	**2.1**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) अव-मानक	2,769	2,723	-7.2	-1.7
	(58.4)	(56.3)		
ii) संदिग्ध	1,930	2,089	-8.3	8.2
	(40.7)	(43.2)		
iii) हानि	43	28	53.7	-34.2
	(0.9)	(0.6)		
ख. एनपीए-ऋण अनुपात	**42.2**	**42.0**		
i) मांग की तुलना में वसूली (%)	39.5	41.5		
ii) अपेक्षित प्रावधान	854	1,040	-5.4	21.8
iii) किया गया प्रावधान	903	1,114	-4.8	23.4

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राशि के प्रतिशत हैं।
स्रोत: नाबार्ड

गिरावट आई। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के एनपीए के अंतर्गत संदिग्ध एनपीए में काफी बढ़ोतरी हुई, जबकि अव-मानक और हानि वाले एनपीए में कमी आई। मार्च 2010 के अंत में पिछले वर्ष की तुलना में पीसीएआरडीबी के वसूली निष्पादन में सुधार आया (सारणी V.24)।

4. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने में नाबार्ड की भूमिका

5.59 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को ऋण प्रदान करने में नाबार्ड एक धुरी की भूमिका निभाता है। नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अल्पावधिक ऋण का मुख्य रूप से मौसमी स्वरूप की कृषि गतिविधियों, फसलों के विपणन और मछली पालन संबंधी क्रियाकलापों के वित्तपोषण में उपयोग किया जाता है। मध्यावधिक ऋण का उपयोग अन्य अनुमोदित कृषि कार्यों के लिए किया जाता है और दीर्घावधिक कर्ज में राज्य सरकारों को दिया गया ऋण शामिल होता है।

नाबार्ड द्वारा दिए गए कुल ऋण में एसटीसीबी को दिए गए ऋण का हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत रहा

5.60 वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में नाबार्ड द्वारा दिए गए ऋण की कुल राशि में काफी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2010-11 में नाबार्ड द्वारा दिए गए कुल ऋणों के अंतर्गत एसटीसीबी और आरआरबी को दिए गए अल्पावधिक ऋण का हिस्सा सर्वाधिक रहा। वर्ष 2010-11 में नाबार्ड द्वारा दिए गए कुल ऋण में से एसटीसीबी को लगभग 70 प्रतिशत का हिस्सा प्राप्त हुआ जबकि आरआरबी को 29 प्रतिशत का हिस्सा प्राप्त हुआ तथा राज्य सरकारों को दिए गए दीर्घावधिक ऋण का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम रहा। वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में एसटीसीबी और आरआरबी को दिए गए ऋण में काफी बढ़ोतरी हुई, किंतु राज्य सरकारों को दिए गए दीर्घावधिक ऋण में गिरावट आई (सारणी V.25)।

ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत की गई प्रगति

5.61 ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेशों में आई गिरावट के परिप्रेक्ष्य में, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार और नाबार्ड की संयुक्त पहल से आरआईडीएफ की स्थापना की गई। वर्ष 1995-96 के वार्षिक बजट में आरआईडीएफ योजना की शुरुआत की गई। आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत निधि ऐसे वाणिज्य बैंकों से उस सीमा तक जुटाई जाती है, जिस सीमा तक वे कृषि के संबंध में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने से चूक जाते हैं।

बॉक्स V. 3 वित्तीय समावेशन में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की भूमिका - कुछ उभरते मुद्दे

देश के कोने-कोने में स्थित ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का व्यापक नेटवर्क समाज के वंचित और गरीब तबके के लोगों तक पहुंचने का एक सक्षम साधन माना जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के भौगोलिक फैलाव और उनके द्वारा किए जाने वाले बैंकिंग कारोबार का तुलनात्मक विश्लेषण करना जरूरी है। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के परिचालनों और कार्य-निष्पादन संबंधी क्षेत्रवार आंकड़ों से पता चला कि एक ओर एसटीसीबी, जो कि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की अल्पावधिक संरचना में नोडल संस्थाएं हैं, प्रत्येक राज्य में स्थित है, तो दूसरी ओर डीसीसीबी की देश के केंद्रीय और दक्षिण क्षेत्रों में उपस्थिति है। देश के पश्चिम और पूर्व भागों में डीसीसीबी का बैंकिंग नेटवर्क कमजोर पाया गया, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भी डीसीसीबी उपलब्ध नहीं है। न केवल देश के पश्चिम और पूर्व भागों में डीसीसीबी की संख्या काफी कम है, बल्कि इन दोनों क्षेत्रों में हानि वाली संस्थाओं का प्रतिशत भी अधिक पाया गया। इसके विपरीत देश के पश्चिम और पूर्व भागों में पीएसीएस, जो कि अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत बुनियादी स्तरीय संस्थाएं हैं, अधिक संख्या में मौजूद हैं। विभिन्न क्षेत्रों के बीच देश के दक्षिण क्षेत्र में हानि वाली पीएसीएस का प्रतिशत सबसे अधिक है।

अल्पावधिक ऋण संरचना के अंतर्गत एससीएआरडीबी केंद्रीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जबकि कुल पीसीएआरडीबी में 60 प्रतिशत से अधिक बैंक देश के दक्षिण क्षेत्र में अवस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि दक्षिण क्षेत्र में परिचालनरत पीसीएआरडीबी की संख्या काफी कम है और साथ ही, मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार पश्चिम क्षेत्र स्थित सभी संस्थाएं हानि उठा रही हैं (चार्ट 3.1)।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के क्षेत्रवार आंकड़े के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन संस्थाओं का नेटवर्क व्यापक रहने के बावजूद देश के विभिन्न भागों में इनकी समान रूप से उपस्थिति नहीं है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क काफी कमजोर रहने की वजह से वित्तीय समावेशन के लिए इन संस्थाओं की क्षमता सीमित हो जाती है। इसके अलावा, एसटीसीबी को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक एनपीए अनुपात का सामना करना पड़ा (परिशिष्ट सारणी V.4)। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार केवल 4 प्रतिशत की पीएसीएस पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिचालनरत हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिचालित एससीएआरडीबी ने भी लगभग 50 प्रतिशत के एनपीए अनुपात का सामना किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिचालनरत ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की कम संख्या और उनकी निराशाजनक वित्तीय निष्पादन चिंता की बात बने हुए हैं।

मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार डीसीसीबी, एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी के वित्तीय निष्पादन खराब होने लगे। परिचालन व्ययों में हुई बढ़ोतरी के चलते इन संस्थाओं के लाभों में गिरावट आई। परिचालन व्ययों की बढ़ोतरी का मतलब उनकी परिचालनगत अक्षमता। अतः उनकी कारोबारी गतिविधियों को सारणीबद्ध करने और मानव संसाधन विकास संबंधी पहलें करने हेतु एक व्यापक योजना जरूरी है। साथ ही, कुछ राज्यों में पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण कार्य, जहाँ पहले से शुरू हो चुका हो, में गति बढ़ाना आवश्यक है तथा अन्य राज्यों, जहाँ पीएसीएस परिचालित हैं, को भी इस दिशा में कार्य शुरू करना चाहिए। पीएसीएस के लिए सामान्य लेखांकन पद्धति (सीएएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को अपनाने की प्रक्रिया और व्यापक हो। कारोबारी गतिविधियों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की क्षमता बड़े पैमाने पर बढ़ने की प्रत्याशा है। तथापि, इस प्रौद्योगिकी की जानकारी हासिल करने के लिए इन संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए समुचित प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना जरूरी है।

चूंकी पीएसीएस से सदस्य ही उधार ले सकते हैं, अतः इन बुनियादी स्तरीय संस्थाओं के व्यापक नेटवर्क की प्रभावशीलता का और उपयोग करने हेतु सदस्यता प्रति पीएसीएस को बढ़ाना जरूरी है। मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार सदस्य प्रति पीएसी की संख्या घटकर 1336 हो गई, जबकि मार्च 2009 के अंत की स्थिति के अनुसार यह संख्या 1384 थी। पश्चिम और केंद्रीय क्षेत्र में सदस्यता प्रति पीएसी कम है। इसके अलावा, देश के पूर्वोत्तर, पश्चिम और केंद्रीय क्षेत्रों में उधारकर्ता प्रति पीएसी कम है (सारणी 3.1)। हालाँकि देश के पश्चिम क्षेत्र में परिचालनरत पीएसीएस का सबसे अधिक प्रतिशत है, फिर भी पश्चिम क्षेत्र के साथ समूचे भारत के स्तर पर सदस्य प्रति पीएसी की संख्या में बढ़ोतरी करने की दिशा में प्रयास करना जरूरी है।

विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में तथा सामान्य रूप से सारे भारत में परिचालनरत पीएसीएस से संबंधित मांग की तुलना में अतिदेय राशि का प्रतिशत बहुत ज्यादा पाया गया। मार्च 2010 के अंत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में सारे भारत के स्तर पर अतिदेय राशि के प्रतिशत में मामूली गिरावट आई, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिचालित पीएसीएस की अतिदेय राशि में बढ़ोतरी हुई। उच्च अतिदेय राशि पीएसीएस के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जो इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और सुदृढता के समक्ष आशंका पैदा कर रही है। पीएसीएस की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए इस दिशा में यथोचित पहल करना जरूरी है।

चार्ट 3.1: ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का भौगोलिक अस्तित्व

(मार्च 2010 के अंत की स्थिति)

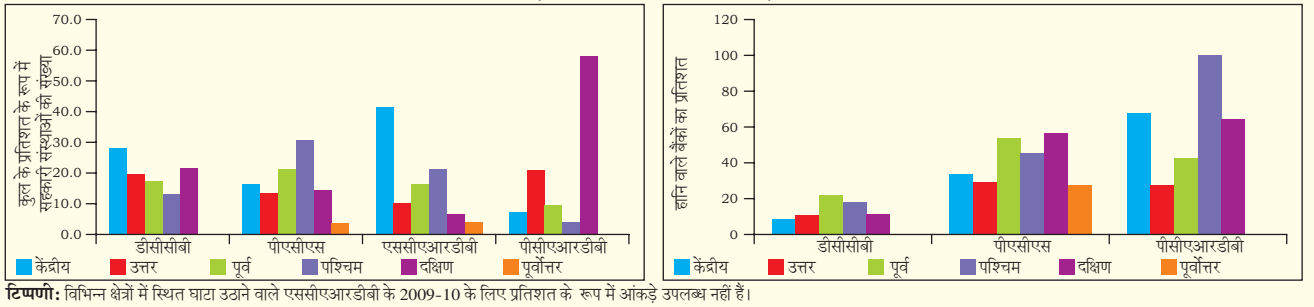

टिप्पणी: विभिन्न क्षेत्रों में स्थित घाटा उठाने वाले एससीएआरडीबी के 2009-10 के लिए प्रतिशत के रूप में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

सारणी 3.1: पीएसीएस की सदस्यता संबंधी क्षेत्रवार ब्योरे

(मार्च 2010 के अंत की स्थिति)

क्षेत्र	सदस्य प्रति पीएसीएस	अजा/अजजा सदस्यों का प्रतिशत	ग्रामीण कारीगरों, छोटे और सीमांत किसानों का प्रतिशत	उधारकर्ता प्रति पीएसीएस	अजा/अजजा उधारकर्ताओं का प्रतिशत	ग्रामीण कारीगरों, छोटे और सीमांत उधारकर्ताओं का प्रतिशत
उत्तर	862	27.7	72.3	464	16.9	83.1
पूर्व	2,130	40.8	59.2	720	27.8	72.2
केंद्रीय	665	47.3	52.7	297	38.5	61.5
पश्चिम	571	13.3	86.7	147	16.2	83.8
दक्षिण	3,064	18.3	81.7	2,215	8.7	91.3
पूर्वोत्तर	1,031	35.2	64.8	73	32.2	67.8
अखिल भारत	1,336	28.9	71.1	632	17.1	82.9

सारणी V.25: नाबार्ड द्वारा एसटीसीबी, राज्य सरकारों और आरआरबी को दिया गया ऋण

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2009-10				2010-11			
	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. एसटीसीबी (क+ख)	**18,287**	**18,680**	**17,215**	**17,169**	**24,814**	**25,091**	**18,385**	**23,875**
क. अल्पावधिक*	18,287	18,680	17,149	17,169	23,975	24,898	18,385	23,682
ख. मध्यावधिक#	66**	0	66	0	839	193		193
2. राज्य सरकारें								
क. दीर्घावधिक	8***	0	53	199	0	8	39	167
3. आरआरबी (क+ख)	**7,374**	**7,091**	**3,969**	**6,924**	**10,459**	**10,416**	**7,137**	**10,203**
क. अल्पावधिक*	7,374	7,091	3,842	6,904	10,400	10,416	7,117	10,203
ख. मध्यावधिक#	0	0	127	20	59		20	
कुल जोड़ (1+2+3)	**25,661**	**25,771**	**21,237**	**24,292**	**35,273**	**35,515**	**25,561**	**34,245**

टिप्पणी : 1. # मध्यावधिक के अंतर्गत एमटी अंतरण, एमटी(एनएस) और एमटी - चलनिधि समर्थन योजना शामिल हैं।
2. * अल्पावधिक ऋण के अंतर्गत एसटी(एसएओ), एसटी (अन्य) और एसटी (बुनकर) शामिल हैं।
3. वर्ष 2010-11 के दौरान अल्पावधिक ऋण चुकौती के अंतर्गत एसटी(एसएओ)ए/सी V और साथ ही, ए/सी VI, एसटी (अन्य) और एसटी (बुनकर) से संबंधित चुकौतियां शामिल हैं।
4. ** मंजूरी बंद कर दी गई है।
5. ***2009-10 (जून 2010) की बढ़ाई गई अवधि में केरल सरकार को मंजूर किया गया दीर्घावधिक ऋण

स्रोत: नाबार्ड

मंजूर किए गए ऋणों में से आरआईडीएफ XVI के पहले वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत ऋण संवितरित किए गए

5.62 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार आरआईडीएफ के अंतर्गत कुल 95,785 करोड़ रुपये की जमा-राशि जुटाई गई। आरआईडीएफ XVI के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं की संख्या में पिछले ट्रैन्च की तुलना में बढ़ोतरी हुई। तथापि, आरआईडीएफ XVI के अंतर्गत मंजूर किए गए कुल ऋणों में से पहले वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत ऋण दिए गए।

5.63 आरआईडीएफ ट्रैन्च XII-XV के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेन्सी (एनआरआरडीए) नामक एक अलग विंडो की स्थापना की गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए भारत निर्माण कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क संबंधी घटकों का वित्तपोषण करने के उद्देश्य से एनआरआरडीए शुरू की गई। मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार एनआरआरडीए के अंतर्गत कुल 18,500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया। उल्लेखनीय है कि एनआरआरडीए के अंतर्गत ऋण देने में कोई विलंब नहीं हुआ, जैसा कि इस योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत वितरित ऋणों से स्पष्ट होता है (सारणी V.26)।

5.64 आरआईडीएफ के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं और ऋणों के प्रयोजनवार ब्योरे से पता चलता है कि मंजूर की गई कुल परियोजनाओं में सिंचाई का आधे से अधिक हिस्सा रहा, जबकि उनमें सड़कों और पुलों से संबंधित परियोजनाओं का हिस्सा लगभग बीस प्रतिशत था तथा 19 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं को दिया गया। इसके विपरीत, कुल ऋणों में

चार्ट V.13: आरआईडीएफ के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं और ऋणों का प्रयोजनावार ब्योरा

(मार्च 2011 के अंत की स्थिति)

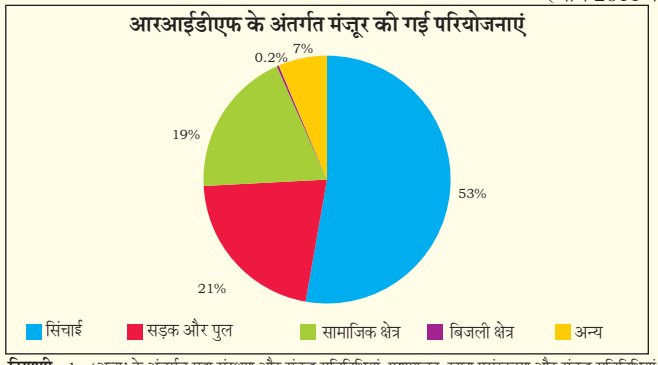

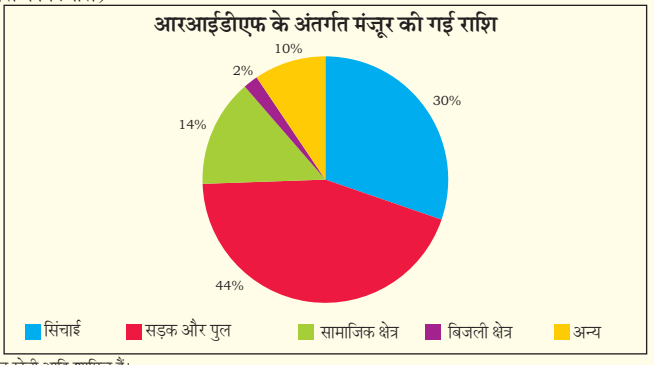

टिप्पणी: 1. 'अन्य' के अंतर्गत मृदा संरक्षण और संबद्ध गतिविधियां, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध गतिविधियां, रबड़ खेती आदि शामिल हैं।
2. सामाजिक क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं के अंतर्गत पेय जल की आपूर्ति, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

सारणी V.26: आरआईडीएफ का ट्रैन्चवार ब्योरा (मार्च 2011 के अंत की स्थिति)

(राशि करोड़ रुपये में)

ट्रैन्च	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	राशि			संस्वीकृत ऋणों में से संवितरित ऋणों का प्रतिशत
			मूल निधि	संस्वीकृत	संवितरित	
1	2	3	4	5	6	7
I	1995-96	4,168	2,000	1,906	1,761	92.4
II	1996-97	8,193	2,500	2,636	2,398	91.0
III	1997-98	14,345	2,500	2,733	2,454	89.8
IV	1998-99	6,171	3,000	2,903	2,482	85.5
V	1999-00	12,106	3,500	3,435	3,055	88.9
VI	2000-01	43,168	4,500	4,489	4,071	90.7
VII	2001-02	24,598	5,000	4,582	4,053	88.4
VIII	2002-03	20,887	5,500	5,950	5,148	86.5
IX	2003-04	19,544	5,500	5,638	4,916	87.2
X	2004-05	16,482	8,000	7,651	6,569	85.9
XI	2005-06	29,763	8,000	8,311	7,010	84.4
XII	2006-07	41,774	10,000	10,377	8,001	77.1
XIII	2007-08	36,810	12,000	12,614	8,969	71.1
XIV	2008-09	85,428	14,000	14,726	9,253	62.8
XV	2009-10	38,946	14,000	15,623	6,629	42.4
XVI	2010-11	41,779	16,000	18,315	3,731	20.4
आरआईडीएफ : कुल	-	4,44,162	1,16,000	1,21,888	80,500	66.0
एनआरआरडीए (XII से XV तक)	-	-	18,500	18,500	18,500	100.0
कुल जोड़		4,44,162	1,34,500	1,40,388	99,000	70.5

'-': कुछ नहीं/उपलब्ध नहीं
स्रोत: नाबार्ड

लगभग 44 प्रतिशत का ऋण सड़कों और पुलों के विकास के लिए मंजूर किया गया था, जिसके बाद सिंचाई और सामाजिक क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं के लिए मंजूर किये गये ऋण का क्रम था (चार्ट V.13)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) के अंतर्गत की गई प्रगति

5.65 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार सारे देश में कुल 104 मिलियन केसीसी जारी किए गए। वर्ष 2010-11 में पिछले वर्ष की तुलना में कुल जारी किए गए कार्डों की संख्या और केसीसी के अंतर्गत मंजूर किए गए ऋणों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई (सारणी V.27)।

सारणी V.27: किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत की गई प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के दौरान दिए गए केसीसी (हजार की संख्या में)	मंजूर की गई राशि	दिए गए केसीसी की संचयी संख्या (हजार की संख्या में)
1	2	3	4
2006-07	8,511	46,729	67,605
2007-08	8,470	88,264	76,075
2008-09	8,592	53,085	84,667
2009-10	9,006	57,678	93,673
2010-11	10,168	72,625	1,03,841

स्रोत: नाबार्ड

5.66 दिए गए केसीसी की संख्या से संबंधित क्षेत्रवार और एजेन्सीवार संवितरण संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2010-11 में सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए केसीसी की कुल संख्या में दक्षिण क्षेत्र का 34 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा रहा, जिसके बाद केंद्रीय और उत्तर क्षेत्रों का क्रम रहा। तथापि, केसीसी के अंतर्गत ऋण संवितरण की दृष्टि से केंद्रीय क्षेत्र का 35 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा रहा। वाणिज्य बैंकों के मामले में दक्षिण क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में केसीसी दिए गए और ऋण वितरित किए गए। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिए गए केसीसी की संख्या और केसीसी योजना के अंतर्गत विशेष रूप से सहकारी संस्थाओं, वाणिज्य और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण काफी कम था (परिशिष्ट सारणी V.10)।

केसीसी को प्रौद्योगिकी संपन्न बनाने की दिशा में की गई पहल

5.67 कृषि कर्ज माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर), 2008 के कवरेज मुद्दों से संबंधित कार्य बल ने केसीसी को प्रौद्योगिकी संपन्न बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है, जिसके अंतर्गत केसीसी का स्मार्ट कार्ड के रूप में अंतरण भी शामिल है ताकि उसका एटीएम, बिक्री केंद्रों और दस्ती मशीनों के ज़रिए धन-राशि निकालने और प्रेषित करने में प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा, केसीसी के एमआईएस की डिज़ाइन को नए सिरे से तैयार करने की सिफारिश की गई है। इस समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि केसीसी सीमा को 5 वर्ष

करने के साथ-साथ किसान को उसका उपयोग अपनी आवश्यकतानुसार करने की सुविधा दी जाए। साथ ही, फसल या खेती की किसी भी अवस्थाओं के लिए उप लक्ष्य तय नहीं किया जाए।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं से संबंधित पुनरुत्थान पैकेज की स्थिति

5.68 ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की चुनौतियों और मुद्दों का विश्लेषण करने तथा इस क्षेत्र के लिए भावी कार्य योजना तैयार करने के लिए वर्ष 2004 में केंद्र सरकार ने प्रो. ए वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया। इस समिति की सिफारिशों के अनुसरण में जनवरी 2006 में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लिए एक पुनरुत्थान पैकेज घोषित किया गया। तदुपरांत वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में दीर्घावधिक सहकारी संस्थाओं के लिए अलग से एक पुनरुत्थान पैकेज की घोषणा की गई।

5.69 नाबार्ड को पुनरुत्थान पैकेज को अमल में लाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (एनआईएमसी) देशभर में पुनरुत्थान पैकेज के कार्यान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखती है। प्रत्येक राज्य में इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर निगरानी रखने हेतु नाबार्ड और डीसीसीबी स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (डीएलआईसी) द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (एसएलआईसी) है।

अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) संबंधी पुनरुत्थान पैकेज का कार्यान्वयन प्रगति पर है

5.70 किसी राज्य में पुनरुत्थान पैकेज के कार्यान्वयन की प्रक्रिया केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और नाबार्ड के बीच उस आशय के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने से शुरू होती है। अब तक 25 राज्य सरकारों ने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके अंतर्गत देशभर परिचालित 96 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीण सहकारी संस्थाएं शामिल हैं।

5.71 सोलह राज्यों में 53,380 पीएसीएस के पुनर्पूंजीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा 8661 करोड़ रुपये की राशि दी गई, जबकि राज्य सरकारों ने अपने-अपने हिस्से के रूप में 817 करोड़ रुपये दिए हैं।

सामान्य लेखांकन पद्धति (सीएएस) और प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस)

5.72 सोलह राज्यों में सीएएस को अपनाने की प्रक्रिया प्रगति पर है, जबकि अन्य राज्यों, जिनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, में संबंधित आरसीएस को सूचित किया गया है कि वे नाबार्ड द्वारा सुझाए गए अनुसार सीएएस अपनाएं।

पीएसीएस की विशेष लेखापरीक्षा

5.73 सभी सहभागी राज्यों के बीच विशेष लेखापरीक्षा के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश और फार्मेट परिचालित किए गए। इसके अलावा, पीएसीएस की विशेष लेखापरीक्षा का संचालन करने हेतु सभी 25 राज्यों में मास्टर प्रशिक्षकों और विभागीय लेखापरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। अब तक 80,773 पीएसीएस में विशेष लेखापरीक्षा शुरू की गई है और 80,639 पीएसीएस में यह कार्य पूरा हो गया है।

कानूनी, संस्थागत और प्रबंधकीय सुधार

5.74 अब तक 21 राज्यों ने अपने राज्य सहकारी अधिनियमों में संशोधन किया है। विभिन्न राज्यों में एसटीसीबी और पीएसीएस की उप विधियों में संशोधन करने का कार्य प्रगति पर है।

5.75 सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में पात्र व्यावसायिकों को लाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने सहकारी संस्थाओं के निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) की नियुक्ति संबंधी 'समुचित और उपयुक्त मानदंड' विनिर्दिष्ट किए हैं। तदनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य कुछ राज्यों के एसटीसीबी में 'समुचित और उपयुक्त मानदंडों' को पूरा करने वाले व्यावसायिक निदेशकों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, कुछ राज्यों ने राज्य सहकारी संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पहले ही लागू कर दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और तमिलनाडु को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में एसटीसीसीएस की लगभग सभी इकाइयों में निर्वाचित बोर्ड हैं।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन संबंधी पहलें

5.76 नाबार्ड द्वारा गठित एक कार्यदल पीएसीएस के निर्वाचक निदेशकों और स्टाफों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करता है। 23 राज्यों के 254 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया

है। इन मास्टर प्रशिक्षकों ने पीएसीएस के लिए क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु 2039 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। अब तक सत्रह राज्यों में 81,037 पीएसीएस सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा चौदह राज्यों में पीएसीएस के 1,12,354 निर्वाचित सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है।

5.77 पीएसीएस सचिवों के लिए कारोबार विकास और लाभप्रदता संबंधी एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है तथा 12 कार्यान्वयनकर्ता राज्यों के 76 मास्टर प्रशिक्षकों को लखनऊ स्थित बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक आठ राज्यों में 36,125 पीएसीएस स्टाफों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, कारोबार विकास/विशाखन के लिए सीसीबी/एसटीसीबी के शाखा प्रबंधकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवासीय तौर पर एक पांच दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसमें 1,582 शाखा प्रबंधकों/वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

5. निष्कर्ष

शहरी सहकारी बैंकों के लाभ में वृद्धि हुई, तथापि उनकी आस्ति गुणवत्ता चिंताजनक है

5.78 वर्ष 2010-11 में शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय निष्पादन में सुधार आया, जबकि, ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खराब हुई। हालाँकि 2010-11 में शहरी सहकारी बैंकों के समग्र लाभ में सुधार हुआ, फिर भी, कुछ शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ऋणात्मक सीआरएआर सूचित किया जाना चिंता की बात है। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंकों के एनपीए अनुपात में गिरावट आने के बावजूद उनके सकल एनपीए में बढ़ोतरी हुई है।

ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति कमज़ोर

5.79 ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक ओर एसटीसीबी और डीसीसीबी ने लाभ दर्ज किया है, दूसरी ओर बुनियादी स्तरीय संस्थाओं, अर्थात् पीएसीएस ने अत्यधिक हानि दर्ज की है। इसके अलावा, दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के परिचालन व्ययों, विशेष रूप से स्टाफ संबंधी व्ययों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे पता चलता है कि इन सहकारी संस्थाओं के परिचालनगत व्ययों को युक्तियुक्त बनाने हेतु कदम उठाना ज़रूरी है। एमआईएस/सीएएस के कार्यान्वयन और पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण को भी त्वरित रूप से पूरा करना आवश्यक है।

वित्तीय समावेशन में सहकारी संस्थाओं के क्षेत्रीय संकेंद्रण से बाधा पहुंच रही है

5.80 क्षेत्रीय संकेद्रण के अलावा, देश के पूर्वोत्तर भाग में बैंकिंग सेवा की दृष्टि से सहकारी संस्थाओं की उपस्थिति काफी कम रही। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं के आधार को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी स्तरीय ग्रामीण सहकारी संस्थाओं, अर्थात् पीएसीएस की वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु प्रयास करना ज़रूरी है।